more than 200 kisan organizations and all these organisations are organising a lot of agitations throughout the country.

At the very outset, I am requesting the hon. Minister and also the Government to look into the wrath of the farmers and withdraw these Ordinances and the Bills.

Secondly, three Ordinances were promulgated as a COVID package for farmers. I do not find any package for farmers.

MR. CHAIRMAN: Please confine to the subject.

SHRI K.K. RAGESH: Sir, it is a package for corporates. Mr. Chairman, Sir, it is very clear that it is a package for *

MR. CHAIRMAN: Please, please, that will not go on record. That is not the subject. Then, I have to stop you, Rageshji. You are capable of presenting the issue. Why are you making allegations?

SHRI K.K. RAGESH: I am moving towards my second point. The second thing is that this is a State subject. Agriculture is a State subject. How can the Centre snap the powers of the States? It is because agriculture falls under State subject under our Constitution. Hence, it is the federal principle. So, we are talking a lot on co-operative federalism. I am asking the Government whether this is the kind of co-operative federalism that you are propagating. How can it be a Covid package? If it is a Covid package, it could have been a package for farmers for loan waiver. It could have been an intervention.....

MR. CHAIRMAN: Right Rageshji, thank you. Please. ...*(Interruptions)*... Resolution moved. Please. Now, Shri Narendra Singh Tomar to move a Motion for consideration.

GOVERNMENT BILLS

**The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020;
And
**The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill, 2020

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री; ग्रामीण विकास मंत्री; पंचायती राज मंत्री; तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

---

*Not Recorded
**Discussed together

[श्री नरेन्द्र सिंह तोमर]

"कि ऐसे पारिस्थितिक तंत्र के सृजन का वहां, जहां कृषक और व्यापारी, ऐसी कृषि उपज के, विक्रय और क्रय संबंधी चयन की स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं, जो प्रतिस्पर्धात्मक वैकल्पिक व्यापारिक चैनलों के माध्यम से लाभकारी कीमतों को सुकर बनाता है, का उपबंध करने के लिए; बाजारों के भौतिक परिसर या विभिन्न राज्य कृषि उपज बाजार संबंधी विधानों के अधीन अधिसूचित समझे गए बाजारों के बाहर कृषक उपज का दक्ष, पारदर्शी और निर्बाध अंतराज्यिक और अंतःराज्यिक व्यापार और वाणिज्य के संवर्धन के लिए; इलैक्ट्रानिक व्यापार के लिए सुसाध्य ढ़ांच का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

MR. CHAIRMAN: First, he has moved a Motion for consideration of the Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020. Motion moved. मंत्री जी, यदि आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिएगा, लेकिन अभी एक और है, उसको भी मूव करने दीजिए, उसके बाद बिल पर बोलें।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय सभापति जी ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: आप दूसरा मूव करने के बाद एक साथ बोल सकते हैं, लेकिन अभी एक Resolution और है, Shri K.K. Ragesh, Shri Elamaram Kareem, Shri Binoy Viswam, Shri M.V. Shreyams Kumar, Shri K.C. Venugopal, Shri Derek O' Brien and Shri Digvijaya Singh. Now, Shri K.K. Ragesh.

SHRI K.K. RAGESH (Kerala) : On the Second Resolution, I am saying one point.

MR. CHAIRMAN: Please say. बोलिए। please say it.

SHRI K.K. RAGESH: So, the Government is unfortunately throwing the farmers of our country at the mercy of the corporates. This is not the farmers' freedom, as our hon. Prime Minister was saying. This is the corporates' freedom to loot the farmers of our country. How can we assume that the farmers of our country can go for a contract with corporates and they have got the bargaining power? Bargaining power is always lying with the corporates and it is not with the farmers. Hence, they are compelled to sell their produce according to the dictate of the corporates. So, I am requesting the Government to re-consider the decision and save the farmers of our country. Thank you, Sir. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Right. Resolution moved. No, you get an opportunity when your turn comes. On the Resolution, Venugopalji, the procedure is that only the first

man will move the Resolution and say a few words, and afterwards when discussion takes place, you will also be called. Now, Shri Narendra Singh Tomar to move a motion for the Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill, 2020. Mr. Minister, you move the second one also. आपको दूसरे प्रस्ताव को भी consideration के लिए मूव करना है।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि ऐसे कृषि करारों पर जो निष्पक्ष और पारदर्शी रीति में पारस्परिक रूप से सहमत लाभकारी कीमत रूपरेखा पर कृषि सेवाओं और भावी कृषि उत्पादों के विक्रय के लिए कृषि कारबार फर्मों, प्रोसेसरों, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़ी संख्या में फुटकर विक्रेताओं के साथ कृषकों का संरक्षण और उनको सशक्त करते हैं, राष्ट्रीय रूपरेखा का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

श्री सभापति: ये दोनों मोशन्स, पहले वाला और दूसरे वाला कृषि से संबंधित हैं और मंत्री जी भी एक ही हैं, इसलिए हम दोनों को एक साथ मिलाकर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने दोनों प्रस्ताव सभा कक्ष में रखे हैं। मंत्री जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? Do you want to say something?

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय सभापति महोदय, ये दोनों बिल, जो लोक सभा से पारित होकर आज राज्य सभा में विचार के लिए आए हैं, ऐतिहासिक बिल हैं और किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। इस बिल के माध्यम से किसान को अपनी फसल किसी भी स्थान से किसी भी स्थान पर मनचाही कीमत पर बेचने की स्वतंत्रता होगी। इन विधेयकों से किसान को महँगी फसलों की पैदावार करने का अवसर मिलेगा। ये विधेयक इस बात का भी प्रावधान करते हैं कि बुवाई के समय ही जो करार होगा, उसमें किसान को कीमत का आश्वासन मिल जाएगा।

MR. CHAIRMAN: From the gallery, somebody is speaking. ...*(Interruptions)*...

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: किसान की संरक्षा हो सके, किसान की भूमि के साथ किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ न हो सके, इसका प्रावधान भी इन विधेयकों में किया गया है।

माननीय सभापति जी, जो कृषि उपज के व्यापार से सम्बन्धित विषय है, हम सब जानते हैं कि देश का किसान देश का सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता है, लेकिन इस उत्पादनकर्ता को अपनी फसल मनचाही कीमत पर बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी, मनचाहे स्थान और मनचाहे व्यक्ति को भी बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। एक लंबे कालखंड से कृषि के क्षेत्र में विचार करने वाले चिंतक, वैज्ञानिक और हमारे तमाम नेतागण लगातार इस बात की ओर संकेत करते रहे हैं कि जो APMC है, वह किसानों के साथ न्याय नहीं कर पा रही है, APMC की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता नहीं है और किसान के पास APMC के अलावा कोई दूसरा विकल्प भी होना चाहिए। मैं समझता हूँ

[श्री नरेन्द्र सिंह तोमर]

कि यह वैकल्पिक व्यवस्था इन विधेयकों के माध्यम से हो रही है। इससे बाजार में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ेगी और किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिलेगा। ये विधेयक कृषि के क्षेत्र में जो फसल बेची जाएगी, उसका तीन दिन में किसान को भुगतान हो, यह भी प्रावधान करते हैं।

सभापति महोदय, इन विधेयकों के मामले में अनेक प्रकार की धारणाएँ बनाई जा रही हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को भी और देश के किसानों को भी यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये विधेयक MSP से सम्बन्धित नहीं हैं। MSP सरकार का प्रशासकीय निर्णय है। मैंने भी लोक सभा में आश्वस्त किया है और माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी MSP के बारे में अपनी बात कही है। MSP जारी थी, जारी है और आने वाले कल में भी जारी रहेगी। UPA सरकार के समय माननीय मनमोहन सिंह जी भी प्रधान मंत्री थे और अनेक अवसरों पर जब भी उनको बात रखने का मौका दिया गया, तब उन्होंने इस प्रकार के reform के बारे में अपनी राय व्यक्त की है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि इन विधेयकों के माध्यम से किसानों के जीवन में एक अभूतपूर्व बदलाव आएगा, इसलिए इन विधेयकों पर विचार किया जाए और इनको समर्थन मिले।

MR. CHAIRMAN: There are three Amendments by Shri K.K. Ragesh, Shri Derek O'Brien and Shri Tiruchi Siva for reference of the Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020, as passed by Lok Sabha, to a Select Committee of Rajya Sabha. The Members may move the Amendments. Shri K.K. Ragesh, are you moving the Amendment?

Amendments for reference of the Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020, as passed by Lok Sabha, to a Select Committee of the Rajya Sabha

SHRI K.K. RAGESH (Kerala): Sir, I move:

"That the Bill to provide for the creation of an ecosystem where the farmers and traders enjoy the freedom of choice relating to sale and purchase of farmers' produce which facilitates remunerative prices through competitive alternative trading channels; to promote efficient, transparent and barrier-free inter-State and intra-State trade and commerce of farmers' produce outside the physical premises of markets or deemed markets notified under various State agricultural produce market legislations; to provide a facilitative framework for electronic trading and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha, consisting of the following Members:-

1. Prof. Manoj Kumar Jha
2. Shri K.K. Ragesh
3. Shri M.V. Shreyams Kumar
4. Shri Sanjay Singh
5. Shri Tiruchi Siva
6. Shri Binoy Viswam

with instructions to report by the last day of the first week of the next Session (253rd) of the Rajya Sabha".

MR. CHAIRMAN: Amendment moved.

SHRI BHUPENDER YADAV (Rajasthan): Sir, when there is Resolution or Motion, there are Rule Nos. 154 and 157. सर, रूल 157 में 'conditions of admissibility' है। It says, "it shall raise substantially one definite issue." इसलिए एक मेम्बर दो Motion move नहीं कर सकता है। रागेश जी ने पहले Motion को move किया कि बिल को dismiss किया जाए और वे दूसरा Motion move कर रहे हैं कि इसको Select Committee को भेजा जाए। जब definite issue है, तो एक मेम्बर एक ही Motion move कर सकता है। चूँकि वे एक Motion already move कर चुके हैं, तो अब दूसरा Motion move करना उनका right नहीं है, वह reject किया जाए। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... I have permitted. They are on two different issues. Okay. Shri Derek O'Brien, are you moving the Amendment?

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Yes, Sir. I am moving the Amendment to send these two Bills to a Select Committee and I hope you will also give me little time to explain the reason for this.

Sir, I move:

"That the Bill to provide for the creation of an ecosystem where the farmers and traders enjoy the freedom of choice relating to sale and purchase of farmers' produce which facilitates remunerative prices through competitive alternative trading channels; to promote efficient, transparent and barrier-free inter-State and intra-State trade and commerce of farmers' produce outside the physical premises

[Shri Derek O'Brien]

of markets or deemed markets notified under various State agricultural produce market legislations; to provide a facilitative framework for electronic trading and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha, consisting of the following Members:-

1. Shri K. C. Venugopal
2. Prof. Ram Gopal Yadav
3. Shri Tiruchi Siva
4. Dr. K. Keshava Rao
5. Prof. Manoj Kumar Jha
6. Shri Sanjay Singh
7. Shri Sanjay Raut
8. Shri Praful Patel
9. Shri Elamaram Kareem
10. Shri Derek O'Brien

with instructions to report by the last day of the first week of the next Session (253rd) of the Rajya Sabha".

MR. CHAIRMAN: Right, but you have not given the names of Members to the Committee.

SHRI DEREK O'BRIEN: No, Sir. The names are here. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Tiruchi Siva.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I move:

"That the Bill to provide for the creation of an ecosystem where the farmers and traders enjoy the freedom of choice relating to sale and purchase of farmers' produce which facilitates remunerative prices through competitive alternative trading channels; to promote efficient, transparent and barrier-free inter-State and intra-State trade and commerce of farmers' produce outside the physical premises of markets or deemed markets notified under various State agricultural produce market legislations; to provide a facilitative framework for electronic trading and

for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha, consisting of the following Members:-

1. Shri Partap Singh Bajwa
2. Shrimati Vandana Chavan
3. Shri T.K.S. Elangovan
4. Prof. Manoj Kumar Jha
5. Shri Elamaram Kareem
6. Shri Sanjay Raut
7. Shri Sanjay Singh
8. Shri Tiruchi Siva
9. Shri Dinesh Trivedi
10. Shri Binoy Viswam
11. Prof. Ram Gopal Yadav

with instructions to report by the last day of the first week of the next Session (253rd) of the Rajya Sabha".

MR. CHAIRMAN: You have moved the motion to send it to Select Committee. Now, there are four Amendments by Shri K. K. Ragesh, Shri Derek O'Brien, Shri Tiruchi Siva and Shri K.C. Venugopal for reference of the Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill, 2020 as passed by Lok Sabha to a Select Committee of the Rajya Sabha. Members may move Amendment at stage without any speech. Shri Ragesh, are you moving your Amendment?

Amendments for reference of the Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill, 2020, as passed by Lok Sabha, to a Select Committee of the Rajya Sabha

SHRI K.K. RAGESH: Sir, I move:

"That the Bill to provide for a national framework on farming agreements that protects and empowers farmers to engage with agri-business firms, processors, wholesalers, exporters or large retailers for farm services and sale of future farming

[Shri K.K. Ragesh]

produce at a mutually agreed remunerative price framework in a fair and transparent manner and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha, consisting of the following Members:-

1. Prof. Manoj Kumar Jha
2. Shri K.K. Ragesh
3. Shri M.V. Shreyams Kumar
4. Shri Sanjay Singh
5. Shri Tiruchi Siva
6. Shri Binoy Viswam

with instructions to report by the last day of the first week of the next session (253rd) of the Rajya Sabha.

SHRI K.K. RAGESH: Sir, I just want to say one sentence.

MR. CHAIRMAN: You have been given time and you now just move the Amendment. Now, Shri Derek O'Brien. Are you moving the Amendment?

SHRI DEREK O' BRIEN: Sir, I move:

"That the Bill to provide for a national framework on farming agreements that protects and empowers farmers to engage with agri-business firms, processors, wholesalers, exporters or large retailers for farm services and sale of future farming produce at a mutually agreed remunerative price framework in a fair and transparent manner and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha, consisting of the following Members:-

1. Shri K. C. Venugopal
2. Prof. Ram Gopal Yadav
3. Shri Tiruchi Siva
4. Dr. K. Keshava Rao
5. Prof. Manoj Kumar Jha

6. Shri Sanjay Singh
7. Shri Sanjay Raut
8. Shri Praful Patel
9. Shri Elamaram Kareem
10. Shri Derek O'Brien

with instructions to report by the last day of the first week of the next Session of the Rajya Sabha".

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Tiruchi Siva. ...*(Interruptions)*... Please, no argument, no counter argument. Shri Tiruchi Siva, are you moving the Amendment?

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I move:

"That the Bill to provide for a national framework on farming agreements that protects and empowers farmers to engage with agri-business firms, processors, wholesalers, exporters or large retailers for farm services and sale of future farming produce at a mutually agreed remunerative price framework in a fair and transparent manner and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha, consisting of the following Members:-

1. Shrimati Vandana Chavan
2. Dr. L. Hanumanthaiah
3. Prof. Manoj Kumar Jha
4. Shri K.K. Ragesh
5. Shri Sanjay Raut
6. Shri M. Shannmgam
7. Shri Sanjay Singh
8. Shri Tiruchi Siva
9. Shri Dinesh Trivedi
10. Shri K.T.S. Tulsi
11. Shri Binoy Viswam
12. Prof. Ram Gopal Yadav

with instructions to report by the last day of the first week of the next Session of the Rajya Sabha".

MR. CHAIRMAN: Shri K.C. Venugopal, are you moving your Amendment?

SHRI K.C. VENUGOPAL (Rajasthan): Sir, I move:

"That the Bill to provide for a national framework on farming agreements that protects and empowers farmers to engage with agri-business firms, processors, wholesalers, exporters or large retailers for farm services and sale of future farming produce at a mutually agreed remunerative price framework in a fair and transparent manner and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha, consisting of the following Members:-

1. Shrimati Vandana Chavan
2. Shri Neeraj Dangi
3. Prof. Manoj Kumar Jha
4. Shri Mallikarjun Kharge
5. Shri Derek O' Brien
6. Shri Jairam Ramesh
7. Shri Tiruchi Siva
8. Shri Binoy Viswam

with instructions to report by the last day of the first week of the next Session of the Rajya Sabha".

The questions were proposed

MR. CHAIRMAN: Now, the Statutory Resolutions, Motions for consideration of the Bills and the Amendments moved thereto, are open for discussion. Any Member, desiring to speak, have already given the names. We will start with the discussion and then before conclusion, we will take up the exact proposal and then finally move ahead. अब इस पर बहस शुरू हो रही है। इसमें दो तरीके हो सकते हैं, एक, अभी मोशन मूव करके वोटिंग करवाई जाए या दूसरा, मेरे ख्याल से बहस होने के बाद ही वोटिंग करवाना बेहतर होगा। अब श्री प्रताप सिंह बाजवा, आप बोलें। बाजवा जी, आपकी पार्टी ने आपको 43 मिनट का टाइम दिया है। कृपया उसको फॉलो करिएगा।

श्री प्रताप सिंह बाजवा (पंजाब): चेयरमैन सर, बहुत मेहरबानी। सबसे पहले मैं अपनी पार्टी, Indian National Congress की leadership का मशकूर हूं कि उन्होंने पंजाब से एक किसान

के बेटे को मौका दिया है कि हिन्दुस्तान और विशेष तौर पर पंजाब और हरियाणा के किसानों की बात मैं आपके सामने रख सकूं। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Once again my appeal is, please follow the time.

श्री प्रताप सिंह बाजवा: सर,

"सरकारें तमाम उम्र यही भूल करती रहीं ।
धूल उनके चेहरे पे थे, वे आईना ही साफ करती रहीं।।"

(उपसभापति महोदय *पीठासीन हुए)*

सर, यह जो बिल आया है, जिसको तोमर साहब लेकर आए हैं और जिसको आप पास करवाना चाहते हैं, जितना भी किसान जगत है और विशेष तौर पर जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, वे यह समझते हैं कि यह किसानों की आत्मा पर एक बहुत बड़ा अटैक है। सर, जिस्म पर घाव हो जाएं, वे तो भर जाते हैं, लेकिन अगर आत्मा पर घाव हों, तो उनको भरने में बहुत वक्त लगता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ये जितने बिल आज आप लेकर आए हैं, ये completely ill conceived हैं, ill times हैं और कांग्रेस पार्टी इनको सीधे रूप से reject करती है।

सर, ये जो बिल हैं, ये हिन्दुस्तान और विशेष तौर पर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के ज़मींदारों के खिलाफ हैं। एक किसान का बेटा होने के नाते मैं यह कहना चाहता हूं कि हम किसानों के इन detah warrants पर किसी भी हाल में साइन करने को तैयार नहीं हैं।

सर, एग्रीकल्चर और मार्केट, Schedule VII of the Constitution के अनुसार, स्टेट सब्जेक्ट्स हैं। जो present Ordinance and Bills हैं, ये हमारे federal cooperative spirit के खिलाफ हैं। फर्दर हम यह बिल्कुल नहीं चाहते कि APMC और Minimum Support Price को tinker किया जाए। मैं आज आपसे यह कहना चाहता हूं, मुझे हैरानी हुई कि इस वक्त पर इन बिल्स को लाने की जरूरत क्या थी? आज हर रोज़ एक लाख हिन्दुस्तानी कोरोना से जूझ रहे हैं। एक तरफ बॉर्डर पर चीन, it is breathing down your neck, ऐसे में यह हैरानी की बात है कि 73 साल तक जहां इन बिल्स की जरूरत नहीं पड़ी और अब जब Parliament was not in operation, तब इनको लाने की जरूरत क्या थी? तोमर साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने बहुत दलील दी और अपील की, हम आपकी बहुत कद्र करते हैं, आप एक नेक आदमी हैं। हम प्रधान मंत्री जी की भी बहुत इज्जत और कद्र करते हैं। प्रधान मंत्री जी ने एक दफ़ा भी पार्लियामेन्ट में आकर यह स्टेटमेन्ट नहीं दिया कि जो किसानों की समस्याएं हैं, मैं उनको दूर करूंगा। आपने प्रधान मंत्री जी से यह स्टेटमेन्ट तब दिलाई, जब आपके खुद के एलायन्स पार्टनर, जो सबसे पुराने एलायन्स पार्टनर अकाली दल वाले हैं, जो किसी समय किसानों की पार्टी थी, अब नहीं है, जब उन्होंने बाहर आकर यह बात कही और फ्लोर ऑफ दि हाउस लोक सभा

[श्री प्रताप सिंह बाजवा]

में श्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि तीन महीने से हम इनकी वकालत करते रहे और यह सरकार हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है और श्रीमती हरसिमरत कौर सिंह बादल ने इस्तीफा दे दिया, आप बतायें किसान आपकी बात कैसे मानेंगे? हम मानने को तैयार ही नहीं हैं और जिनको आप यह फायदा देना चाहते हो, वे हाथ खड़े करके आपके आगे-आगे भाग रहे हैं कि हमने यह फायदा नहीं लेना। आप धक्के से कह रहे हो कि आपको आइस्क्रीम खिलानी है और वे कह रहे हैं कि इस आइसक्रीम के खाने से हमारा गला ख़राब हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा के किसान आपसे यह फायदा लेना नहीं चाहते, लेकिन आप कहते हैं कि हमने धक्के से फायदा देना है।

श्री उपसभापति: बाजवा जी, कृपया आप मास्क पहन लें। माननीय चेयरमैन साहब ने कह रखा है, प्लीज़ यह सबके लिए है। ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रताप सिंह बाजवा: चलिये सर, अभी बहस का टाइम नहीं है, मैं कर लूंगा। बात यह है कि किसानों के दिलो-दिमाग़ में यह बात फंस चुकी है। हिन्दुस्तान का किसान अब अनपढ़ नहीं रहा, पढ़ा-लिखा है, उसके बच्चे पढ़े-लिखे हैं। वे यह जानते हैं कि यह जो बिल आया है, इसकी बेसिक वजह क्या है, वजह एक ही है। 2015 में इनके मुख्य मंत्री, श्री शान्ता कुमार जी थे, वे हिमाचल प्रदेश में बीजेपी पार्टी के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। वह नड्डा साहब की स्टेट है। वह जो कमिटी बनी, उसमें यह बात कही गई कि यह जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया है, बहुत बड़े घाटे में जा रहा है। इसका क्या किया जाए, इस घाटे को हम कैसे पूरा करें? हर साल तक़रीबन 35 से 40 हजार करोड़ रुपये का घाटा है। फूड कॉरपोरेशन बेसिकली टेलर-मेड बना है। 56 साल से यह पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देकर हिन्दुस्तान के सेन्ट्रल पूल में चावल और कनक लेने के लिए एफसीआई बेसिकली बनी हुई है। शान्ता कुमार जी की जो रिपोर्ट आई, उन्होंने यह बात कही, जो एमएसपी है, यह हिन्दुस्तान के 6 परसेन्ट किसानों को फायदा पहुंचाता है। यह बेसिकली पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसानों को फायदा पहुंचाता है। आप इसको वाइन्ड अप कीजिए। अब एफसीआई का चार लाख करोड़ रुपये का घाटा है, यानी 40 हजार करोड़ रुपये का हर साल का घाटा है। बेसिकली ये सारी स्ट्रेटेजी जो अब एडॉप्ट हुई है, इसको जैसे मर्जी आप पैकेजिंग कर लें, पैकेजिंग में आप बाहर हैं, सरकार बाहर है और मैं यह समझता हूं कि जो इनका कम्युनिकेशन है, जितना बेहतरीन कम्युनिकेशन इस सरकार का है, 73 सालों में किसी सरकार का नहीं रहा। इसके अलावा भी कोई किसान आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। श्री प्रकाश सिंह बादल, जो सबसे बड़े किसान लीडर हैं, उन्होंने वकालत की, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने भी वकालत की। तीन महीने बिना फीस लिये हुए सरदार सुखबीर सिंह बादल ने वकालत की, लेकिन फिर भी किसान नहीं माना और न वह मानने वाला है, क्योंकि किसान को पता है कि बेसिकली यह मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म करने का एक मनसूबा है। आहिस्ता-आहिस्ता यह सरकार बाहर निकलेगी, फिर अम्बानी और अडाणी बड़े कॉरपोरेट हाउसेज़ अंदर आएंगे। यही हाल अमेरिका में हुआ। आज जहां आप

30 परसेन्ट कॉन्ट्रेक्ट की बात करते हो, 30 परसेन्ट किसानों की जमीनें अमेरिका में ये कॉरपोरेट हाउसेज़ ले गए। जिस दिन हमने पंजाब, हरियाणा और बाकी जगहों पर अलाऊ कर दिया, अडाणी ऑलरेडी सौ एकड़ जगह लेकर अपने साइलो मोगा में आ गया है, जैसे ईस्ट इण्डिया कम्पनी किसी समय आई थी। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ट्रेडिंग हाउस था, वह पहले वहां आई और फिर हिन्दुस्तान पर काबिज़ हुई। ऐसे ही गोवा में पोर्चुगीज़ ट्रेडिंग करने के लिए आए, बाद में गोवा पर कब्जा कर लिया। ऐसे ही डच कॉलोनीज़, फ्रेन्च कॉलोनीज़, जर्मन कॉलोनीज़ वर्ल्डओवर ट्रेडिंग के हिसाब से निकलीं और ऐसे ही पैकेजिंग की। जिन्हें आप फायदा पहुंचाना चाहते हो, वे हाथ जोड़ रहे हैं, लाखों की तादाद में सड़कों पर निकले हुए हैं। मैं तोमर साहब से पूछना चाहता हूं कि आपने 245 स्टेकहोल्डर्स, जिनसे किसान सीधे जुड़े हुए हैं, क्या कभी उनसे बात की? आपने बस अपने alliance partner से बात की। आपके alliance partner कैसे हैं? जब आपकी मदद करने का मौका आया, वे तो बोरिया-बिस्तर उठा कर भाग गये। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये सारे 73 साल wait करते रहे। अगर आपको कहीं contract basis पर करना है, तो पंजाब-हरियाणा नहीं चाहते। आप एक कृपा कीजिए कि पहले खुद आपका सूबा गुजरात है, वहाँ से ही शुरू करवा कर देख लीजिए। पाँच साल wait करते हैं, अगर वहाँ कामयाब हो जाते हैं, corporate world कामयाब होता है, ये वहाँ की रूप-रेखा बदल देते हैं, तो आप कृपा करके वहाँ ले जाइए और फिर सारा देश भी उसको adopt कर लेगा।

सर, हम जो कनक और राइस central pool में देते हैं, इसका हमें 4,000 करोड़ रुपया cess मिलता है। आप हर दफ़ा यह कहते हैं कि प्राइवेट मंडियों वाले आयेंगे और cess हटा देंगे। तोमर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब मोदी साहब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, क्या आप गुजरात वाले ONGC से royalty लेते हैं या नहीं, गुजरात में जो तेल मिलता है, आप उसकी royalty लेते हैं, त्रिपुरा वाले लेते हैं, असम वाले लेते हैं। पंजाब अपना पानी इसमें लगाता है। सर, हम हर साल यह जो चावल हिन्दुस्तान के लिए उगाते हैं और बाहर भेजते हैं, एक सतलुज दरिया हर साल अपना पंजाब तबाह करता है। क्या पानी की कीमत नहीं है? आज के टाइम में पानी के बिना गुज़ारा नहीं हो सकता, तेल के बिना तो गुज़ारा हो सकता है। आगे जंग जो होगी, बड़ी महा जंग, वह पानी पर होगी, तेल पर नहीं होगी। यह हमारी गुज़ारिश है कि हमें मत मारिए।

सर, पंजाब के 15 लाख किसान हैं, हमारे 15 लाख खेत मजदूर हैं, हमारे 32,000 कमीशन एजेंट्स हैं, हमारी 4 लाख लेबर मंडियों में काम करती है,। लाख हमारे ट्रक यूनियन वाले हैं। पंजाब और हरियाणा की complete economy जो है, वह तो इसी cess पर based है। 4,000 करोड़ से हमारी जो 75,000 किलोमीटर सड़कें हैं, हर 6 साल के बाद हम उनकी black topping करते हैं। सारी नयी मंडियाँ वहाँ से बनाते हैं। सारी पुरानी मंडियों की देख-रेख वहाँ से करते हैं। हमारे पंजाब के गाँवों की जितनी भी प्रोग्रेस हुई है, यह Rural Development Fund से होती है। आप कहते हैं कि corporate houses आयेंगे और आपको fees नहीं देंगे। हमें fees नहीं

[श्री प्रताप सिंह बाजवा]

देंगे। 6,500 करोड़ रुपये हम हर साल किसानों को बिजली पर subsidy देते हैं, पानी हमारा जा रहा है और आप ऐसा कहते हैं। क्या हम फ्री में लगे हुए हैं? पंजाब की धरती कोई धर्मशाला तो है नहीं। हमने अपना पानी खत्म कर लिया।

सर, मैं बताना चाहता हूँ, एक मिनट इंतज़ार कीजिए। हमारे पंजाब के जो टोटल ब्लॉक्स हैं ...**(व्यवधान)**... सर, हमारे पंजाब में पानी के तकरीबन 134 ब्लॉक्स हैं। 105 ब्लॉक्स में जो मीठा पानी था, पंजाब का सबसे बेहतरीन पानी देश भर में था, 105 में वह bleckish हो गया। मैं सारे हाउस को बताना चाहता हूँ, देश को बताना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी कीमत पंजाब के किसानों ने दी है, तो हम मालवा में जो कॉटन का क्रॉप लगाते हैं, जहाँ से बादल साहब आते हैं, वहाँ एक cotton crop पर 15 बार spray होता है। बीबी हरसिमरत कौर की कांस्टीट्युएंसी भटिंडा से बीकानेर के लिए एक ट्रेन चलती है, 326 किलोमीटर चलती है, उस ट्रेन का नाम 'कैंसर एक्सप्रेस' है। हम जो pesticides इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी हेल्थ गयी, हमारा पानी गया, हमारी soil का texture खत्म हो गया और आप कहते हैं कि हमें ये प्राइवेट एदारे ले आने हैं, वे आपको cess नहीं देंगे। पंजाब गवर्नमेंट कहाँ जाएगी? मैं यह बात हाउस को बताना चाहता हूँ कि जब देश की आज़ादी होने वाली थी, अंग्रेजों की कोशिश थी कि सिख जो हैं, ये पाकिस्तान के साथ, उस मुस्लिम स्टेट के साथ चले जाएँ, लेकिन मास्टर तारा सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के assurance पर कि हम आपका religious interest, आपका economic interest और आपका political interest और ये सारा कुछ safe रखेंगे, आप हिन्दुस्तान में आयें। हमने सभी जमीनें बेच कर--

श्री उपसभापति: बाजवा जी, कृपया conclude कीजिए।

श्री प्रताप सिंह बाजवा: एक मिनट, डिप्टी चेयरमैन साहब। जो वेस्टर्न पंजाब है, जो आज पाकिस्तान का पंजाब है, वहाँ सिखों की population 14 परसेंट थी, हमारी 44 परसेंट जमीनें थीं। आबाद जमीनें छोड़ कर हम बेआबाद जमीनों में, इस पंजाब में, ईस्ट पंजाब में आये। हमने इनको आबाद किया और अब फिर आप हमें बरबाद करने पर तुले हुए हैं। हर साल पंजाब के 1 लाख 50 हजार बच्चों में से कोई कनाडा, कोई अमेरिका, कोई यूरोपियन यूनियन, कोई आस्ट्रेलिया, तो कोई न्यूजीलैंड में जा रहा है। हमारी पंजाबी युनिवर्सिटी ने एक स्टडी करवाई है।

श्री उपसभापति: बाजवा जी, कृपया conclude करें।

श्री प्रताप सिंह बाजवा: 25 हजार करोड़ पिछले साल हिन्दुस्तान का जो पैसा है, पंजाब का है, हमारे लोग जमीनें बेच कर, घर बेच कर बाहरी मुल्कों में जा रहे हैं।

श्री उपसभापति: बाजवा जी, आपका समय खत्म हो रहा है, इसलिए आप conclude कीजिए।

श्री प्रताप सिंह बाजवा: आप चाहते हो कि दूसरी दफा पंजाब का किसान और हमारे जितने बच्चे हैं, ये हिन्दुस्तान छोड़ कर दूसरे मुल्कों में चले जाएँ। आप इस तरह के हालात पैदा करना

चाहते हैं, यह बिल्कुल नहीं होगा। तोमर साहब, मैं गुजारिश करूँगा कि आप इस बिल को जाने दीजिए। आपके खुद का जो जागरण मंत्र है आरएसएस का, वह आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। आपके खुद के alliance partners सपोर्ट नहीं कर रहे हैं।

श्री उपसभापति: कृपया conclude करें। माननीय बाजवा जी, कृपया conclude करें। आपका समय खत्म हो गया।

श्री प्रताप सिंह बाजवा: सर, मैं खत्म कर रहा हूँ। हमारे चीफ मिनिस्टर ने प्रधान मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है और स्टेट असेम्बली ने Resolution move किया। All parties Resolution move हुआ कि यह किसानों के खिलाफ इतना बड़ा....

श्री उपसभापति: धन्यवाद, बाजवा जी, अब मैं दूसरे स्पीकर को बुला रहा हूँ। माननीय श्री भूपेन्द्र यादव जी।

श्री प्रताप सिंह बाजवा: सर, लोगों को मौका दिया जाए ...**(व्यवधान)**... इन बिलों को dustbin of history में फेंका जाए, यह मैं कहना चाहता हूँ।

श्री उपसभापति: भूपेन्द्र यादव जी, कृपया आप बोलिए, आपकी ही बात रिकॉर्ड पर जाएगी।

श्री भूपेन्द्र यादव: उपसभापति महोदय, मैं बाजवा साहब को बड़ी गंभीरता से सुन रहा था। वे पंजाब से आते हैं और मैं मूलतः हरियाणा से आता हूँ। 70 के दशक में ये सूबे एक थे और एक भाषण हुआ करता था और वह भाषण ऐसा होता था, जब भाखड़ा नांगल डैम बना, तो कुछ नेताओं ने भाषण देना शुरू किया कि पानी में से बिजली ऐसे निकाल ली जाएगी, जैसे दूध और दही में से मक्खन निकाल लिया जाता है और बिना ताकत का पानी किसानों को चला जाएगा। आज न वे नेता रहे, न उनके विषय रहे, देश आगे बढ़ गया है। बाजवा साहब आप भी समझिए कि यह देश आगे चल रहा है, कहीं आपके भाषण वही पुराने 70 के दशक के भाषण न रह जाएँ। मैं कहता हूँ कि आज हम ये जो तीन बिल्स लेकर आए हैं, दो बिल्स अभी चल रहे हैं और एक और बिल आने वाला है Essential Commodities Act. इनको लाने से पहले की परिस्थिति पर विचार करना चाहिए। हम बार-बार कहते हैं कि 50 से 60 सालों तक देश में आपने शासन किया, देश को जब आज़ादी मिली, तो हिन्दुस्तान के ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के आय का अनुपात 2:1 था। अगर शहर वाले आदमी को दो रुपए मिलते थे, तो गाँव वाले आदमी को एक रुपया मिलता था, लेकिन 60 साल में, जो आप किसान-किसान चिल्ला रहे हैं, आपकी पार्टी जो नीतियाँ लेकर आई है, आज दुर्भाग्य से वह बढ़ कर 7:1 हो गया है। यह ग्रामीण आय कम क्यों हुई है? आप इसका जवाब दीजिए।

मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान के कमेरे और मेहनतकश किसान ने हिन्दुस्तान को अन्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाया, पर किसान की आमदनी क्यों नहीं बढ़ी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कृषि के क्षेत्र में विकास हुआ, लेकिन किसान की आमदनी के स्तर में किस प्रकार

[श्री भूपेन्द्र यादव]

से बढ़ा जाए, उस पर आपने क्या किया? इसलिए आज मैं इस उच्च सदन से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये जो दो महत्वपूर्ण बिल्स अभी सदन के सामने आए हैं और एक और बिल आने वाला है, इन पर गंभीरता से विचार कीजिए, क्योंकि 70 सालों से किसान जिस न्याय के लिए तरस रहा है, ये उसको न्याय देने का काम और देश का सबसे बड़ा एग्रीकल्वर रिफॉर्म करने का काम करने जा रहे हैं। इस अवसर पर हमें आगे बढ़ना चाहिए।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के कृषि क्षेत्र की समस्या क्या है। हमारी जो policy shift है, वह हमें basically processing area में, value addition area में, मार्केटिंग एरिया और ट्रेड एरिया में अब करने की जरूरत है। हम हिन्दुस्तान को डिजिटल बनाने जा रहे हैं। बाजवा साहब भी किसान परिवार से आते हैं और हम भी किसान परिवार से आते हैं। हम किसान के बेटे को कह रहे हैं कि कंप्यूटर तो खरीद लो, लेकिन इस कंप्यूटर के द्वारा तुम एग्री मार्केटिंग नहीं कर सकते। हमें एक चीज देना चाहते हैं, लेकिन हमारे हाथ को बाँधना चाहते हैं। यह सरकार इस बिल के माध्यम से डिजिटल ताकत किसान के बेटे को देना चाहती है। हम नई पीढ़ी के किसानों के लिए यह New Age Agriculture का बिल लेकर आए हैं। इसलिए आज हमें एक बात समझना चाहिए कि हिन्दुस्तान में 16 agro-economic zones हैं, एक हजार से ज्यादा bio-diversity, agro-diversity के spots हैं। हिन्दुस्तान एक ऐसी ताकत है, जो दुनिया में कोई ऐसी फसल, कोई ऐसा फल, कोई ऐसा अन्न नहीं है, जो हिन्दुस्तान में उपजाने की क्षमता न हो। बिहार से हमारे आर. सी. पी. सिंह जी बैठे हैं। जब बिहार में आम का दौर आना शुरू होता है, तब जर्दा आता है, जर्दालु आता है, मालदा आता है, मुम्बइया आता है, एक ही समय में आठ सीज़न की फसल के आम बिहार से निकलकर आते हैं। हमारे यहाँ राजभोग केला आता है, लीची आती है। जब एक प्रदेश में इतने biodiversity spots हैं, तो पूरे हिन्दुस्तान में कितने agro economic spots होंगे। हमें यह सोचना चाहिए कि दुनिया के विकसित देशों में खाद्यान्न का 50 परसेंट प्रोसेसिंग है, लेकिन इतना ज्यादा उत्पादन होने के बाद भी हमारे यहाँ केवल पाँच परसेंट प्रोसेसिंग है और फूड प्रोसेसिंग में तो हम पाँच परसेंट से भी नीचे हैं। हमारे किसान ने कृषि उत्पादन तो बढ़ाया है, लेकिन आज आवश्यकता है कि उसके कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ, उसके ट्रेड, उसके मार्केट, उसके value addition, उसके एक्सपोर्ट और new age agriculture को आगे बढ़ाया जाए, इसलिए हम यह बिल लेकर आए हैं। सर, इस सरकार ने आने के बाद fisheries के लिए, live stock के लिए बोर्ड बनाकर नया काम करना शुरू किया। हम यह जानते हैं कि हिन्दुस्तान की 50 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या आज भी सीधे खेती पर निर्भर है। देश की जीडीपी में उसका 12 प्रतिशत योगदान है। यह तो हमारी सरकार है, जिसने इस विषय को पहचानकर आज एक लाख करोड़ रुपए का कृषि में निवेश करने का न केवल लक्ष्य किया है, बल्कि उसे पूरा करने के लिए भी आगे बढ़ी है। आज सरकार ने लंबे समय से पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया है। सरकार ने क्वालिटी, कॉस्ट और इन्फ्रास्ट्रक्चर, सबको पूरा करने का काम किया है। सर, दुनिया में खेती की जीडीपी पाँच ट्रिलियन है; उसका आठ

म. प. 10.00 बजे

प्रतिशत, यानी 425 बिलियन का योगदान इस हिन्दुस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर करता है। लेकिन कारण क्या है? क्यों हम परंपरागत तरीके से लगे हुए हैं कि दुनिया के व्यापार में हमारा हिस्सा केवल दो परसेंट है? अगर आज भारत को आगे बढ़ाना है, अगर आज भारत को आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर आगे बढ़ाना है, तो भारत का जो समृद्ध कृषि क्षेत्र है, भारत का जो समृद्ध किसान है, भारत के किसान का जो नौजवान बेटा है, उसकी ताकत को बढ़ाते हुए दुनिया के व्यापार में हम अपने कृषि क्षेत्र के हिस्से को दो परसेंट से बढ़ाकर जितना हमारा उत्पादन है, उतना कर सकते हैं; इसके लिए नए policy intervention की आवश्यकता है, इसलिए यह बिल हम लेकर आए हैं। किसान के लिए मुक्त बाजार, उसके अपेक्षित स्तर पर निर्यात कराने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लक्ष्य से हम यह बिल लेकर आए हैं, तो आपको परेशानी क्या हो रही है? मुझे बाजवा साहब की बात ध्यान में आई। मैं भी मानता हूँ कि हिन्दुस्तान में जो बड़े किसान नेता रहे हैं, legend किसान नेता रहे हैं, वे सरदार प्रकाश सिंह बादल हैं, शरद पवार जी हैं। ये बड़े किसान नेता हैं, लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि 200 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री थे, तब वर्किंग ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बना और उसके चेयरमैन आपके ही कॉंग्रेस के मुख्य मंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी रहे। वे बड़े किसान नेता हैं। उसके सदस्य सरदार प्रकाश सिंह बादल रहे, वे पंजाब के मुख्य मंत्री थे। उसके सदस्य असीम दासमुप्ता, Minister of Finance and Excise, Government of West Bengal रहे। उन्होंने एक रिपोर्ट दी और रिपोर्ट देने का फोटो भी कहीं नहीं है, नेट पर उपलब्ध है। प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी के archives में उपलब्ध है। उस रिपोर्ट को पंजाब के उस समय के कृषि मंत्री, सुच्चा सिंह लंगाह पंजाब की तरफ से देने आए थे। शरद पवार जी कृषि मंत्री के रूप में थे। मैं उस रिपोर्ट का चैप्टर नं. पाँच पढ़ना चाहता हूँ। मैं केवल दो पैराग्राफ पढ़ूँगा। चैप्टर नं. पाँच marketing and credit reforms के बारे में है। इस रिपोर्ट का 5.1 यह कहता है "It is surprising but true that the farmers have hardly any choice in marketing their produce. Unlike other producer, farmers have to bring their produce to regulated agriculture mandis which effectively means going to mandis near their farms/villages. These regulated mandis virtually act as monopoly institutions for sale of farm produce." तो एकाधिकारवाद किसका था? ये तो मंडीज़ का है, यह आपकी रिपोर्ट कह रही है। "In the absence of credit and storage facilities, farmers are forced to go to distress sale of their produce. Thus, a suitable change in this system is required." ये रिकमंडेशंस किसकी हैं? इसके बाद, इस रिपोर्ट का जो concluding part 5.13 है, उसमें कहते हैं, "The market for agricultural produce must be immediately freed of all sorts of restriction on movement, trading, stocking, finance, exports, etc. No monopoly including that of APMC or corporate licences should be allowed to restrict the market." ...*(Interruptions)*...

SHRI K.C. VENUGOPAL: Has the Government implemented those recommendations? ...*(Interruptions)*...

SHRI BHUPENDER YADAV: "The concept of farmers' markets where farmers can freely sell to consume directly must be promoted. The use of Essential Commodities Act should be made only in times of emergency and it must be decided in consultation with the State Government."

मुझे बताइए, यह रिपोर्ट आपकी है, ये conclusion आपके हैं, तो आज आप देश के साथ राजनीति क्यों कर रहे हैं? वेणुगोपाल जी अब कह रहे हैं कि आपने implement किया? जब Citizenship Amendment Bill आया था, तो आपके ही मनमोहन सिंह जी ने यहाँ खड़े होकर कहा था कि शरणार्थियों के लिए कानून बनना चाहिए। आप अपने प्रधान मंत्री की नहीं मानते, आप दुनिया की क्या मानेंगे? आज आप देश के किसानों के साथ इतना बड़ा अन्याय करने जा रहे हैं, केवल अपनी राजनीति के लिए! केवल राजनीति के लिए आप किसान के बेटे को रोकना चाह रहे हैं। आज देश के किसानों के नौजवान यह जानते हैं कि हम डिजिटल ताकत से आगे बढ़ सकते हैं। वह आपके यहाँ नौकरी करने आ सकता है, लेकिन आप उसको स्वयं अपने पैरों पर खड़े होने नहीं देना चाहते। देश इस राजनीति को समझता है। यह रिपोर्ट आपके यहाँ 10 साल तक रही, आपने क्यों नहीं इसको endorse किया? आप देश को चलाने की बात करते हैं। सन् 1960 में इस देश में लॉ कमीशन ने bankruptcy के लिए रिपोर्ट दी थी, वर्ष 2016 में हम bankruptcy कानून लाए। आपके लोग देश के बैंकों को खाकर, देश के बैंकों को दिवालिया करके चले गए। चीज़ों को बनाने का, योजना को implement करने का अगर किसी में माद्दा है, तो वह प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में यह हमारी सरकार ने किया है। इसलिए, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज हम इस बिल के माध्यम से किसानों को उत्पादन करने के अपने सर्वोत्तम प्रयासों के साथ अपना योगदान दे रहे हैं। क्या यह सच नहीं है कि आपकी जिस रिपोर्ट में यह कहा गया कि बाज़ार में एकाधिकारवादी प्रवृत्तियाँ हैं, आप इससे आज अपनी जिम्मेदारी से इनकार कैसे कर सकते हैं? महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो विपक्ष है, दुर्भाग्य से वह केवल नकारात्मकता को देखता है। हिन्दुस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में किसान को प्रोड्यूस करने की तो क्षमता है ही, हिन्दुस्तान के इन्फ्रास्ट्रक्चर को हम कहाँ ले जा सकते हैं, उसके बारे में भी आप विचार कीजिए।

महोदय, आज ICAR जैसा हमारे पास दुनिया का विश्वस्तरीय वैज्ञानिक इंस्टिट्यूशन है। आज हमारे देश के पास 80 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। आज हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में 150 रिसर्च इंस्टिट्यूट्स हैं। हम इस ताकत को लेकर दुनिया में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए, प्रोड्यूसेज़ को बढ़ाने के लिए काम क्यों नहीं कर सकते हैं? यह इन्फ्रास्ट्रक्चर हमारे किसान को दुनिया के बाज़ार में किसी भी प्रकार का मुक़ाबला करने का एक अवसर प्रदान करता है और इस अवसर को लेने के लिए,

इस बुनियादी ढाँचे को आगे बढ़ाने के लिए आज जो लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या वे बताएँगे कि आपने अपने समय में सार्वजनिक निजी भागीदारी को कितना बढ़ावा दिया? हमारे कृषि क्षेत्र को जितनी जरूरत थी, आपने शायद उतना करने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए, कम पूँजी निर्माण और निजी क्षेत्र के निवेश की कमी के परिणामस्वरूप, कृषि क्षेत्र में आपके समय में सार्वजनिक निवेश 5 प्रतिशत से भी नीचे हो गया। इस जिम्मेदारी से आप कैसे भागेंगे? आप किसान को बरगला नहीं सकते। आपको उससे आगे आकर एक नई ताकत के साथ किसानों को नये तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को बताना होगा। आपको यह बताना होगा कि कृषि क्षेत्र का बुनियादी ढाँचा आपके समय से कमजोर क्यों रहा? जब हम अपनी कृषि और किसानों को लाभान्वित करने के लिए, उनको अधिक निवेश देने के लिए, उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए और उनके जो वस्तु और उत्पाद हैं, उनका मूल्य संवर्धन करने के लिए ये तीन बिल लेकर आए हैं, तो आप इनका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या आप इसलिए विरोध कर रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में किसान के हाथ में पूँजी की ताकत नहीं आनी चाहिए?

महोदय, इस देश के किसान और इस देश के कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या रही? इस देश के कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या यह रही कि हमारे यहाँ प्रॉपर बजट का आवंटन नहीं हुआ। यह मैं बड़े विश्वास के साथ आपसे कह रहा हूँ कि वर्ष 2009 से 2014 के दौरान, कृषि क्षेत्र के बजट में आपके समय में केवल 8.5 परसेंट की वृद्धि हुई थी, जबकि वर्ष 2014 से 2019 में हमारी सरकार ने कृषि क्षेत्र में 38.8 परसेंट की वृद्धि करके कृषि क्षेत्र को ताकत बनाने का काम किया है। यह हमारी सरकार का कमिटमेंट है। इसलिए इस कमिटमेंट पर हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज कृषि क्षेत्र को एक नए तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। अभी बाजवा साहब कॉन्ट्रेक्ट खेती के बारे में कह रहे थे। कॉन्ट्रेक्ट खेती सबसे पहले तो पंजाब में आयी, आज भी आपके यहां कॉन्ट्रेक्ट खेती है। कॉन्ट्रेक्ट खेती हरियाणा में हुड्डा साहब के समय में आयी, आज भी आप मना नहीं कर सकते, आपके यहां कॉन्ट्रेक्ट खेती है और कॉन्ट्रेक्ट खेती का जो ऑर्डिनेंस है, वह तमिलनाडु और ओडिशा में भी है। हम कोई किसान की ज़मीन नहीं दे रहे। हम उसका व्यापार, उसकी सेवा, उसकी ताकत आदि में पूंजी निवेश को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसलिए कृषि क्षेत्र और किसानों को सेवा प्रदान करने के लिए आज उच्च टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। आज डिजिटल के कारण, चाहे मौसम की बात हो, चाहे ज़मीन की आर्द्रता, उसकी नमी को नापने का विषय हो, आज किसान को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराना, किसान को उद्यमी बनाना और किसान संगठनों को आगे बढ़ाने की बहुत आवश्यकता थी। मैं हमारे कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी और हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी के विज़नरी आइडिये के लिए इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि इस सरकार ने दस हज़ार Farmer's Produce Organizations बनाए हैं। आखिर ये जो दस हज़ार FPO बनाए हैं, उनमें दो हज़ार से ज्यादा तो अब सक्रिय हो गए हैं। आप नासिक के एक FPO का उदाहरण सुनकर आइए। आपको पता लगेगा कि हम अपने FPO के माध्यम से अपने एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं। मैं सरकार को इस बात की भी बधाई देना चाहता हूं कि कृषि क्षेत्र से जहां पलायन

[Shri Bhupender Yadav]

जारी था, इस सरकार के आने के बाद आज युवा स्नातक एक हज़ार से ज्यादा एग्रो स्टार्टअप्स बनाए गए हैं, जो इस सरकार ने कृषि के क्षेत्र में नए निवेश और रोज़गार को बढ़ाने के लिए काम किया है। आखिर हम ये FPOs बना रहे हैं, एग्रो स्टार्टअप्स बना रहे हैं और हम किसान को बांध कर रखना चाहते हैं। आपको केवल बड़े लोग दिखते हैं, आपको वे नौजवान नहीं दिखते जो आईआईटी, आईआईएम करके वापस अपने गाँवों में अपने किसान को, अपनी ताकत को डिजिटल चीज़ से जोड़कर अपनी किसानी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप कृषि क्षेत्र में किसी भी प्रकार के नए अविष्कार, नए परिवर्तन, नई संकल्पना, नई सोच और नई ताकत की बात नहीं कर सकते? आपके लिए किसान केवल एक वोट बैंक है। आप सबको वोट बैंक के रूप में देखते हैं। हमारे लिए किसान इस देश को आगे बढ़ाने वाला स्वाभिमानी समाज है, जिसको ताकत देना और डिजिटल से जोड़ना ही हमारी ताकत है। आप इस बिल का पूरा अध्ययन कीजिए। आप यह कहते हैं कि एमएसपी खत्म हो जाएगा। बाजवा साहब, आप वर्ष 2022 तक हैं। अभी मॉनसून सेशन है, इसके बाद विंटर सेशन आएगा। खरीफ की फसल आयी हुई है, मैंने कल अपने गाँव में फोन किया तो मालूम हुआ कि बाजरा तैयार है, बाजरा आने वाला है, अक्टूबर में इसको एमएसपी मिलेगा और हम विंटर सेशन में बताएंगे कि आपने कितना असत्य बोला। मैं नरेन्द्र सिंह तोमर जी से यह निवेदन करूंगा कि इस सदन में जो प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है, वह केवल एक दिन के लिए मांगा जाता है। माननीय उपसभापति महोदय, अगर रूल में कोई प्रोविज़न होता तो मैं आपसे प्वाइंट ऑफ ऑर्डर चार साल के लिए मांगता, क्योंकि वर्ष 2024 तक हम सरकार में हैं और आठ बार रबी और खरीफ की फसल आनी है। हर फसल के समय हम इस सदन में आकर बताएंगे कि सरकार ने एमएसपी पर खरीदी है और हर बार आपका असत्य बेनकाब होगा। यह वही असत्य है जो आप राफेल पर बोला करते थे, यह वही असत्य है जो आप सीएए पर बोला करते थे, यह वही असत्य है जो आप किसानों के ऊपर बोला करते हैं। अभी हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। वर्ष 2024 के बाद भी यह जनता, चूंकि हम सच के साथ हैं इसलिए हमको जनता आशीर्वाद देती है। यह एक बार उजागर नहीं होगा, मैं आज देश के किसानों को कहना चाहता हूं कि किसानों की एमएसपी कहीं नहीं गई है। वर्ष 2024 तक आठ बार एमएसपी का इश्यु आने वाला है और आठों बार इस सरकार की सच्चाई लोगों के सामने आने वाली है और आपका असत्य बेनकाब होने वाला है। इसलिए मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एमएसपी का इश्यु पूरी तरह असत्य के साथ बोला गया है। इसलिए आज इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि भारतीय कृषि को अधिक निवेश, बेहतर बाज़ार संरचना, प्रोसेसिंग और निर्यात की आवश्यकता है। इसके लिए नीतिगत समर्थन है ताकि कृषि स्टार्टअप, Farmers' Produce Organizations, technology, market, मूल्य संवर्द्धन के साथ किसानों को बहुत अधिक आवश्यक सेवाएं और सहायता प्रदान कर सकें। इसलिए विपक्ष को इस मुद्दे पर राजनीति करना और किसानों को गुमराह करना बंद करना चाहिए, जबकि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए एक काफी बड़ा सुधार लेकर आए हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आज जो बिल इस सरकार के माध्यम से किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए आया है, वह value addition है। जो वर्तमान व्यवस्था है, उसमें एक नया value और एक नया option दिया है। अगर हम किसी को दो option दे रहे हैं, तो उस option को अपनाने में कमी कहां आ रही है? हम उस option के द्वारा देश में नए विकास की संभावनाओं को अगर तलाशना चाह रहे हैं, तो विपक्ष उसको क्यों रोकना चाहता है? मैं यह बात पुन: कहना चाहूंगा कि 2010 में भी जो Agriculture Working Committee की रिपोर्ट थी, वह political consensus के साथ थी। हम देश में अपनी राजनीति के लिए गुमराह की राजनीति न करें, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि ये जो दो नए कृषि कानून आए हैं, ये देश में एक नए परिवर्तन को लेकर आए हैं, जो हमारे देश की एक नई agriculture की ताकत है, उसके आधार पर देश को आगे बढ़ने के लिए आए हैं। हम ये कानून भारत के किसान को विश्व के बाजार में प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए लेकर आए हैं। हम देश के नौजवान किसानों को आगे बढ़ाने के लिए यह बिल लेकर आए हैं, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आप एक बार अपने आपको 1970 के उन भाषणों से अलग करिए, जो भाषण 1970 में भाखड़ा नांगल पर हुआ करते थे। यह आधुनिक भारत है, यह 21वीं सदी का भारत है। आप इसमें नई सोच, नई technology से और नए विचार से विकास करिए। आप इन पुराने रटे हुए भाषणों को छोड़िए। देश का किसान एक नए रास्ते और अपनी नई मंज़िल का इंतजार कर रहा है। यह उच्च सदन, किसानों के लिए जो नया रास्ता खुला है, उसको अपना पूर्ण समर्थन दे और इन दोनों बिलों को पास करके, भारत के किसानों को विश्व में एक अच्छा स्थान देने का काम करे और इस बिल का पूरा समर्थन करे, धन्यवाद।

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, how qualified am I to speak on this Bill? I belong to a party called the All India Trinamool Congress. Let me take you back to the year 2006. The Chairperson of this Party, for the sake of farmers, the kisan, put her life at risk on a historic 26-day hunger strike, fighting for the rights of farmers. How qualified is the Trinamool Congress to speak on these Bills? Seven years ago, on 4th September, 2013, we had the Land Acquisition Bill. On this side was the BJP, on that side, the Others and we were in the middle. We opposed that Bill. We got just 13 votes, but we opposed the Land Acquisition Bill, upholding the rights of farmers. We were only 13 then, but in 2016, the Supreme Court ordered, upholding the rights of farmers, that their land would be given back. But then, they say that is history. आज तो आधुनिक भारत है, चलो आधुनिक भारत। How is Bengal doing? How qualified are we to speak as a Government on these Bills, from Bengal? In the last six years, the Krishi Karman Award, given by the Central Government, has been given to West Bengal. If you compare the Pradhan Mantri Kisan Scheme with the Krishak Bandhu Scheme, which is funded by the West Bengal Government, and compare the benefits given to farmers, you would find that

[Shri Derek O'Brien]

the Bengal Scheme is better. Talking about the Kisan Credit Card Scheme in West Bengal, the coverage is 92 per cent with 55 lakh farmers covered under the Scheme. Talking about crop insurance for farmers, under the *Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana*, 25 per cent is the Central Government's contribution now. उसके आगे 50 परसेंट देता था। अभी कम कर दिया है। Please tell me, Agriculture Minister, in your Scheme, how much does the farmer pay for the insurance premium? In my State, at all four stages, from pre-sowing to pre-harvest, the premium is paid by the State; farmer has to pay nothing. Now you come to how qualified you are. We had big speeches, 26-minute speeches. Now, let me ask you this. Yesterday Pradhan Mantri said, Opposition is trying to mislead the farmers.

Let us see what credibility you have to make these speeches. You promise to double farmer's income by 2022. आपने बोला double farmer's income. At current rates, farmer's income will not be doubled before 2028. I can also give big talk. But, in Bengal, from Rs.90,000 in 2011, farmers' income has not just doubled; ट्रिपल हो गई। It became Rs.2,90,000. There was no promise delivered by Ms. Mamata Banerjee in Bengal. So, don't give us lectures. On *Note Bandi* also, you gave us a big lecture. What happened to that? After fifty minutes of announcement of *Note Bandi* Ms. Mamata Banerjee tweeted. Let me read the tweet from Ms. Mamata Banerjee: "Withdraw this draconian decision." हमने बोला, लेकिन आपने नहीं सुना। It is 'Digital India', but in राज्य सभा, लोक सभा, कुछ भी पूछते हैं you say, data is not available; no data is available. All these are promises. Another promise: Two crore jobs every year. Now, you have the highest unemployment. So, I can go on and on. Your credibility is low to make promises. By the way, one headline comes that we are opposing this MSP. Please understand. If food security system were the body, MSP is only one of the four —heart, lungs, kidney and brain. We are opposing the entire thing. Why? There are other things like State's role, MSP, PDS and public procurement. So, don't bring this debate down to MSP only. Have you consulted the States? You are reading about 2010 or 2011 when you last wrote to the West Bengal Government. It was about Draft Agricultural Produce and Livestock Contract Farming and the Bengal Government opposed this Bill. Contract Farming Bill is anti-constitutional. It does not give the Central Government the right to legislate in the States. Sir, on APMC, farmers are not protected. For States, the issue is federalism. States will not be able to ensure farmers' interest; States will not be able to ensure that only licensed traders are buying at MSP. What chance does the farmer

have? What chance does he have to take the big voice to court to negotiate with the private purchasers? Who are they trying to fool? One headline: "MSP". No. We need to look at it very deeply. For the consumers also, what is the protection? What is the protection against hoarding, profiteering or price rise? But, in all these, there is a bigger picture. There is a much bigger picture and we can debate this Bill in great detail. The bigger picture is, if you ask the BJP, they will tell you: "We have the numbers; you oppose this." This is where we own the farmers. I want the young people of India to understand what is going on in Parliament. These Bills have to be discussed and debated. We are the only one of three countries in the world who do not have to call Parliament to pass a Bill! These Bills have to be discussed; they have to be scrutinised; they have to be legislated. You cannot do this in six minutes or eight minutes. The young people of India are watching. There are other parties like us in the opposition. We will keep fighting for our democratic rights in Parliament. You have the right; you have the numbers to have your way. We have the right to have our say and to keep you on track of a parliamentary democracy. ...*(Interruptions)*... I have got time. I know that there is another speaker. Sir, this is a very, very dangerous trend we are following and I am going to tell you when I get a chance to intervene as to why we want this Bill to go to a Select Committee. Select Committee is not a one-hand brake; Select Committee is there to contribute. I want to leave the BJP; I am going to move the Select Committee. How many BJP MPs —you needn't answer this; think about it —have studied these two Bills? Thank you.

श्री नरेश गुजराल (पंजाब): सर, ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. गुजराल साहब, जब आपकी टर्न आएगी, तब आप अपनी बात कहिएगा। Shri S.R. Balasubramoniyan. ...*(Interruptions)*... जब आपकी टर्न आएगी, तब आप बोलिएगा।

SHRI NARESH GUJRAL: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It will not go on record. आपका समय आएगा, आपका नाम है, तब आप बोलिएगा। जब आपकी पार्टी बोलेगी, तब आप बोलिएगा।

SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN (Tamil Nadu): Before I start, I wish to ask one question. What are the exigencies and urgency in promulgating the Ordinances? Is it because of the COVID-19 lockdown? I would like to say that farmers are the least

*Not recorded.

[Shri S.R. Balasubramoniyan]

affected due to COVID pandemic, as they are the people who continue to perform their work in spite of the Government imposing lockdown on 24th March, 2020. The Bills have been passed in Lok Sabha and are required to be passed in this august House.

A majority of the farmers are small and marginal farmers. The contract farming worldwide has proved to be a failure. There is an apprehension in the minds of people and peasant communities all over India that the Government is using COVID-19 pandemic situation to bulldoze agriculture sector reforms through Ordinances.

The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance, 2020, or FAPAFS Ordinance has been enacted to make contract farming legitimate so that big businesses and companies can cultivate vast swaths of land on contract. This is like disinvestment of Indian farming sector and selling it to big corporates and MNCs.

Giving legal sanctity to contract farming would help corporates enter the agricultural sector in a very big way. This will certainly increase the productivity, but at what cost, and at whose loss? The farmers will be reduced to farm workers to toil in their own strip of land leased or purchased by corporate companies.

There was peaceful co-existence of a farmer and his big family having few cows and sheep, hen and dogs by holding just one acre or few acres of land. Nothing could give them more satisfaction than having his food, by sweating in his own farm.

There is an elaborate dispute resolution mechanism. But how would the farmers access it when they are pitted against big companies? The Agricultural Produce and Market Committee (APMC), a statutory body of the State Government, is helping the farmers to procure the agricultural commodities directly from the farmers after paying the price so that the small and marginal farmers do not have the headache to market their produce. Abolishing the APMC, will only encourage and permit the corporate sector to enter and replace the APMC.

In the long run, farmers will be at the mercy of the corporate contractors without any bargaining power. Secondly, the Bill is silent about the Minimum Support Price (MSP) which is essential for the survival of farmers. The Government should stipulate mandatory rules for the Minimum Support Price. That is more important for the farmers than anything else.

Sir, more than 60 per cent people of this country are poor and thrive because of agriculture. The effect of the Bill is that big corporate companies through middlemen will entice the poor, illiterate, marginal farmers to enter into an agreement or forcibly, by using money and muscle.

Therefore, the effect of the agreement/contract employed in different provisions of the Bill will be an agreement between two unequal parties. The Government should not pave way to something like the Champaran Satyagraha, India's first Civil Disobedient Movement in 1917 during British Raj.

Once the Bills are passed, the State Governments will not have any power to control hoarding, black-marketing and profiteering because in an indirect manner, the power of the State, under the Essential Commodities Act, 1955, is sought to be taken away. The State has to remain a mute spectator.

Though the Government assures that this Bill empowers the farmers to engage with investors of their choice and the private investment, remunerative price, electronic trading platform and dispute resolution mechanism will surely help the farmers, there are still many doubts and fears in the minds of the poor farmers. The Government should address this issue and win the confidence of the poor farmers who are not literates like us. The Government should first allay the fears in their minds and convince them first before passing this Bill.

This agricultural reform will bring benefits to both farmers and consumers and will attract more private, foreign investment for establishment of modern warehouse facilities and creation of cold storage infrastructure which would increase income of the farmers as well as reduce the wastage of perishable commodities.

In Tamil Nadu, the State Government is taking adequate, progressive and proactive steps to bridge the gap between the farmers and the end users. The farm produce can be sold farm fresh for good prices.

Both farmers and customers are very happy. It should not be disturbed at any cost. Sir, the dispute resolution mechanism will be complicated for the small farmers. It is a fact that the farmers are spending lot of money and energy on foodgrains and pulses production but the Minimum Support Price is low for almost all the seasonal crops. Farmers are producing more than 100-plus agricultural products whereas they are

[Shri S.R. Balasubramoniyan]

assured Minimum Support Price of just 14 products, which is very less. I hope that the Government will consider implementing the M.S. Swaminathan Commission's recommendations *in toto* to realise the goal of doubling the income of farmers by 2022.

In India, eighty per cent of the population is directly or indirectly attached to agriculture to feed our entire population and fill the granaries with surplus foodgrains. The Government in the name of agreements should not create animosity and disinterest, which drive them out from agriculture. I only wish the Government be more cautious and ensure that every farmer gets adequate price. They should not get cheated by exploiters using the very own laws of the land.

Sir, if a drought hits a State, agriculture is the first casualty. If floods occur, agriculture is the first casualty. But even then Tamil Nadu has been performing well in food production. It is because the Government of Tamil Nadu has put in a lot of efforts in providing all necessary facilities to the farmers. This is our wealth and should not be mortgaged or sold to corporate companies.

Sir, before I conclude, I would like to urge the Union Government to establish a Central regulatory authority, The Indian Agriculture Regulatory Authority, on the lines of Central Electricity Regulatory Authority to provide better support to farmers of the country during all the periods and acts of agriculture, pre-farming, farming, harvesting, post-harvesting and marketing to ensure that they get better prices and their income is doubled. Thank you.

श्री उपसभापति: प्रो. राम गोपाल यादव जी।

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): सर, हमारे पास बोलने के लिए कितना समय है?

श्री उपसभापति: आपके पास सात मिनट का समय है।

प्रो. राम गोपाल यादव: सर, दो बिल हैं।

श्री उपसभापति: चार घंटे बहस होनी है।

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश): सर, इसका मतलब यह है कि छोटी पार्टी के जो लोग हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: टाइम बंटने की शुरू से जो परंपरा है, उसी के अनुसार पार्टियों की strength के हिसाब से टाइम मिलता है। ...**(व्यवधान)**...

प्रो. राम गोपाल यादव: मैं सब जानता हूं कि आप सब परंपरावादी हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया बैठकर न बोलें।

प्रो. राम गोपाल यादव: सर, क्या खड़े हो कर बोलें?

श्री उपसभापति: नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं। मैं अन्य माननीय सदस्यों से कह रहा हूं। आप तो बैठकर ही बोलें।

प्रो. राम गोपाल यादव: उपसभापति महोदय, मैंने कांग्रेस के श्री बाजवा को सुना, भूपेन्द्र जी को सुना, श्री देरेक ओब्राईन और हमारे अन्ना डीएमके के मित्र को भी सुना। मैं बहुत जोर से तो नहीं बोल सकता, लेकिन कई बार मुझे यह लगता है कि कोई न कोई ऐसा compulsion है, जिसकी वजह से सत्ताधारी दल न डिबेट करना चाहता है और न डिस्कस करना चाहता है। They are rushing through the Bills. ये इतने महत्वपूर्ण बिल्स हैं। क्या यह पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में उचित नहीं होगा कि देश के 60 फीसदी से ज्यादा लोगों को रोज़ी-रोटी देने वाले सैक्टर के बारे में जब आप बिल लाएं, तो विपक्ष के नेताओं से भी बात करें और देश के तमाम किसान संगठनों से बात करें? आपने कोरोना के नाम पर ये सब अध्यादेश जारी कर दिए और बिल ले आए। किसी से कुछ नहीं पूछा। आपका जो बीजेपी का है, भारतीय मजदूर संघ, उससे ही डिस्कशन कर लिया होता। आपने उनसे भी नहीं पूछा। आखिर क्या compulsion है, क्या मजबूरी है? भूपेन्द्र जी बोल रहे थे कि देश की जीडीपी में एग्रीकल्चर का 12 परसेंट हिस्सा है। जब हम आजाद हुए थे, तो यह 50 परसेंट था। 2014 में लगभग 17-18 परसेंट था। 2014 से तो आपकी सरकार है, तो फिर जीडीपी में यह 5-6 परसेंट हिस्सा कम कैसे हो गया? मैं जानता हूं कि जब तोमर साहब बात करेंगे, तो ऐसा लगेगा कि इन बिल्स के माध्यम से पृथ्वी पर स्वर्ग उतारना चाहते हैं, लेकिन यह वास्तविकता नहीं है।

(उपसभाध्यक्ष, डा. एल. हनुमंतय्या *पीठासीन हुए)*

आप डिजिटल इंडिया कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिजिटल इंडिया के रहते हजारों करोड़ रुपया लोग बैंकों से लेकर चले गए, आप किसान की तो बात छोड़िए। जिस दिन किसान डिजिटल से व्यापार करने लगेगा, उसे पैसा नहीं मिलेगा, वह कहां पर अंबानी, अडाणी को ढूंढ़ता फिरेगा? आपको मालूम है कि 84 प्रतिशत से ज्यादा किसान मॉर्जिनल है, उसके पास तीन एकड़ से कम ज़मीन है। वह कहां पर अपनी फसल को बेचने जाएगा? यह बड़ी अजीब स्थिति है, पता नहीं आप किस तरह की बात करते हैं! देश में समानांतर मंडियां हो जाएंगी। आप यह बताइए कि जो अभी मंडी शुल्क से राज्यों को पैसा मिलता है, वह जब कम हो जाएगा, तो उसकी क्षतिपूर्ति आप कैसे करेंगे? क्या आपके पास इसके लिए कोई मैकेनिज्म है? आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है।

[प्रो. राम गोपाल यादव]

आपने अपने भाषण के शुरू में ही कहा था कि किसान कहीं पर मनचाही कीमतों पर अपनी फसल को बेच सकेगा। क्या आप इसकी गांरटी देते हैं कि किसान को मनचाही कीमतों पर मूल्य मिलेगा? मनचाही कीमतों पर इस शब्द पर जोर दीजिएगा, यह आपने शुरू में ही कहा था, जब इन बिलों को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। ऐसा नहीं हो सकता है। आपको मालूम है कि क्या स्थिति होगी? जैसे बड़े-बड़े लोगों की समानांतर मंडियां आ जाएंगी और हमारी existing मंडियां हैं, तो उनके सामने हमारी मंडियों का दम घुट जाएगा। ये उनका मुकाबला नहीं कर सकती हैं। उसी तरह से जैसे जियो के सामने हमारा बीएसएनएल दम तोड़ रहा है। दम तोड़ रहा है या नहीं तोड़ रहा है? उसको बेचने की स्थिति में हो या नहीं हो?

मंत्री जी, आप तो किसान के परिवार से आते हैं। अगर अदरवाइज़ न लें, बुरा मत मानना मेरी मंशा खराब नहीं है, लेकिन मेरे मन में ऐसा है कि यह लगता ही नहीं है कि यह बिल आपने बनाया है। ...(**व्यवधान**)... कोई किसान का बेटा इस तरह का बिल नहीं ला सकता है। इससे आगे की बात मैं नहीं कहना चाहूंगा। तोमर साहब, आप चम्बल के किनारे के रहने वाले हो। मैं इन बिलों की technicalities पर नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि जो कुछ है, वह सब किसान विरोधी है, मैं सारे लोगों से यह कहना चाहता हूं। हमारी चम्बल की घाटी में इधर इटावा है, उधर भिंड और ग्वालियर है, जहां से हमारे माननीय मंत्री जी आते हैं। वहां पर एक बड़े कवि शिशुपाल सिंह 'शिशु' जी हुए हैं। वे चम्बल के किनारे जाते थे, तो एक तरफ पनघट था, क्योंकि चम्बल का पानी बहुत शुद्ध था। इतना शुद्ध पानी कहीं हिन्दुस्तान में नहीं था। वहीं से पानी भरकर महिलाएं लाती थीं और एक तरफ मरघट था। उन्होंने चम्बल घाटी पर पूरा काव्य ग्रंथ "चंबल घाटी" लिखा।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): There is one minute left.

प्रो. राम गोपाल यादव: सर, एक मिनट। उन्होंने मरघट खण्ड में जो लिखा, वह सारे लोगों पर लागू होता है, वह हमारे ऊपर भी लागू होता है, उसकी चार लाइनें मैं कहना चाहता हूं,

"स्वर्ण भस्म को खाने वाले, इसी घाट पर आये।
दाना बीन चबाने वाले, इसी घाट पर आये।
गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आये।
बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आये?"

आप इस सत्य को, जीवन के इस मर्म को समझिए। सत्ता में न भी रहें और रहें भी, तब भी 10 साल बाद आप गांव के खेतों की मेंड़ों पर जाएंगे, तो टूटी हुई मेंड़ें आपसे पूछेंगी कि जब हमारा गला काटा जा रहा था, तब आप संसद में क्या कर रहे थे? उदास लड़के गांव के ये पूछेंगे, जिन लड़कों के चेहरे अभी खिले रहते हैं, उनके मुरझाये चेहरे आपसे ये पूछेंगे कि जब हमारा डैथ वॉरंट संसद के जरिए से निकाला जा रहा था, तो आप संसद में क्या कर

रहे थे? आप क्या जवाब देंगे? हम जवाब देने लायक नहीं होंगे। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप जीवन के मर्म को समझिए। यह हम सब पर लागू होता है, इसलिए ऐसे काम कीजिए कि आने वाली पीढ़ी आपको कभी दोषी न ठहराए।

महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Shri T.K.S. Elangovan. You have two speakers and six minutes.

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (Tamil Nadu): Sir, the Bill seeks to provide for the creation of an ecosystem where farmers and traders enjoy the freedom of choice relating to sale and purchase of farmers' produce. When I bought this pen, I did not sit with its manufacturer to discuss the price. I had to purchase this pen at the cost fixed by its manufacturer or producer. Here, farmers are left to discuss sale of their produce with traders and fix the price. I don't know why farmers are put into such trouble. This is an insult to farmers. This Bill itself is an insult to farmers.

The Bill seeks to repeal the Ordinance in this regard. This Bill also seeks to repeal the promise made by this Government to follow M.S. Swaminathan Committee Report in toto. This Bill is not at all a necessity. The subject being a State subject, this Government has no right to bring this Bill. There are simple things. In Tamil Nadu, we had a farmers' market when the DMK was in power. Farmers would bring their produce there and buyers would come there. There would be a Government agent to fix the rate and the sale would go smoothly. Here, it says, '..where farmers and traders enjoy the freedom of choice..'. Now farmers are agitating and traders are enjoying. When both should enjoy the freedom of choice, you have left the farmers to agitate. They are on the streets. They have called for an agitation. It means that they are not enjoying it. When they are not enjoying it, why this Bill? Throw this Bill out. This Bill has no say in this country, because this Bill affects the interests of farmers.

Sir, I don't want to take much time because my colleague will also speak on this subject. I can only close my speech by saying that this Bill is not for the sale of farm produce. This Bill will ultimately be used for sale of farmers themselves as slaves to big industrial houses. Otherwise, this Bill has no other thing to offer. You are putting all the farmers as slaves like what has happened in the U.S. when people from Africa went there. Still they are being treated as slaves. The farmers, who contribute at least

[Shri T.K.S. Elangovan]

20 per cent to the total GDP of this country, will be made slaves by this Bill. This Bill will not help farmers. The ultimate result will be that this Bill will affect farmers and kill them and make them a commodity. Thank you, Sir.

DR. K. KESHAVA RAO (Telangana): Sir, I am speaking with a deep sense of anguish. I don't understand, what is happening in this country, is known to you for the last three months. Your calm, composed speeches are now punctured by Mr. Elangovan. While somebody can sell his pen because he is a producer, the producer here has to depend on the dictates of whoever dealer it is.

Before I speak on the subject, let me refer to what the Minister has said. The Minister says that it is a historic Bill. Why historic? It is a revolutionary Bill. You have changed the very character of this country. A country whose culture is agriculture is now being sold to a corporate. You have made an agriculture country into a corporate country. Now that is a revolutionary thing. You have undone history. Sir, you are saying that freedom to sell is given to farmers. The freedom to sell is given, freedom to fix the price, as Mr. Elangovan said, is not given to farmers. Please understand the conditions and realities of farmers in this country. For centuries, farmers are poor, still pleading and saying, "*Sarkar, Dora*" and what not. Do you think that he will go and sit with traders on equal terms and will have same level-playing field as corporate in fixing up the prices? No, this is the only thing I want to tell you. As Yadavji said, this is a new age Agriculture Bill. If this is the new age, we are totally against this new age kind because the issue of rich versus poor has been ignited. It has been as old as the tradition itself. Now, you are pitting the poor farmers against rich corporate. Whatever it is, I would like to say one thing. It is very ironical. The Government has set out to kill the golden goose. Agriculture is the only sector that could beat the pandemic in the April-June quarter. GDP shrank to 23.9 per cent in general terms but agriculture remained positive. Today, in Telangana, our production is 1.11 crore metric tonnes. This is how agriculture is being supported by the State Government. We are elected by the people as you think you are. You think that you have a right to bring forward this Bill. If you think that you have a right to bring forward this Bill because you have been elected, so are we, and the Constitution says that this subject, particularly agriculture, belongs to us and not to you. Only because the Concurrent List gives you a scope, it only enables you to intervene whenever you want. Enabling clause should not come

and replace main party. This is a constitutional provision. All right! Did you at least talk to us? Did you consult the farmers? I will tell you that Punjab is popular because it is an agricultural State. As compared to Telangana it is small. Today, we have something like 69 lakh farmers whom we give Rs.10,000 every year under Rythu Bandhu scheme. Why are we giving this money? We want to support our farmers; we want to build their economy; we want to build up our State. That is how we are involved in it. Yadavji said that now we have the Farmers' Producer organisation. We have already got those things. Very recently, we have developed our own thing known as Samanvaya Samitis. We are dividing the State into clusters and today there are thousands of clusters. An area of 5,000 acres becomes a cluster under the charge of an Agriculture Extension Officer. We have 1,65,000 members in these clusters. Why I am saying this is not because of the Bill. I want the Minister and the Central Government to know that we know about agriculture as much as you do, if not more. Since we know about it, we are fending for that sector and we are doing whatever it needs. And we are being sustained by that. Sir, what is the time allotted to me?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Six minutes.

DR. K. KESHAVA RAO: Okay, Sir. Ever since our Government is formed in Telangana, this has been our concern. This year, the total crop production is very good even during this critical period of Covid. You mentioned about free power. You are not giving free power; you are not giving anything to us. You don't fund us. Even the fund, to which are entitled, that is, GST, is not yet given and you are trying to tell us as to how we should manage finance.

Sir, as I have already said, I would treat this Bill as a direct brutal assault on the rights of States and the Constitution as such. It not only assaults but also violates the very spirit of our Constitution and cooperative federalism by creating extra zone of Centre. Now, what exactly is your Bill trying to do? Sir, you are creating an extra zone in the geographical field. They have already APMCs. We know that still people can buy outside the APMC. But the regulated body being there gives some kind of a protection and some kind of a psychological backing to the farmer that whenever he needs the price, whenever he needs a protection, he goes back to the Market Committee or regulated zone and gets MSP money. Now, you have kept the entire thing open. Anybody with a PAN can start an electronic trading thing. Do you think the farmers in our country are that smart.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Please conclude. Time is over.

DR. K. KESHAVA RAO: Sir, by diluting APMC doing this, you have taken away our fees. Now, we have around 191 APMCs with 6,166 traders; 4,613 commission agents, each of whom would have 100 assistants. Besides 2,099 Millers, directly directly under APMCs are managing in Telangana. Perhaps, you do not know this situation. What would happen to all these things when the Bill comes? Now, we have 314 ginning mills registered with us. What would happen to their existence? The total employees are around 4,000, who will now be thrown out. I would say one thing to the Minister because he said that. The Minister has gone on record trying to sell his Bill with the hope of corporate built infrastructure. Experience shows that investment only happens in ancillary areas like hospitality and food processing, not farming.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Mr. Rao, please. Time is over.

DR. K. KESHAVA RAO: Hence, the vision of aggregation of supplier sold by the Government is a flawed one. Aggregation has two way benefits when happening at the production site in the form of farmer cooperatives that this Bill undoubtedly hurts. What would this Bill do? It would turn the farmer into a landless labour through the agreement that he enters into. Thank you very much, Sir.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I, on behalf of Y.S.R. Congress Party, rise to support this Bill. The previous framework —I am showing my hand towards this side —left the farmers at the mercy of the middlemen, that is, *dalals*, who wanted to increase their own margins. Now, there are some positive aspects in this Bill. A farmer, who toils day and night in his fields, faces two problems. Problem number one is, whether he would be able to get the right price for his produce. Secondly, would he be able to sell at a reasonable rate and at what rate? A farmer is facing these two problems. By allowing contract farming, the farmer is assured of the sale price for his produce at a predetermined price, this is one advantage. The risk, therefore, is transferred from the farmer to the buyer. Secondly, the Bill free farmers from the coercion of the licensed middlemen as the farmers could till now sell only to the licensed middlemen and the middlemen found it easy to form cartels and control these markets and offer low prices to the farmers. This would be prevented by passing this Bill. This ends the

monopoly of APMC system. A farmer in a market area is compelled by law to sell his own produce in the designated APMC market and he is prohibited from going even to the next APMC in the next district even though it is much nearer to the farmer. This can be avoided by passing this Bill. There are some concerns also and because of paucity of time I am not bringing it to your notice. One important issue, which I would like to bring to your notice, is that this Bill does not cover the tobacco. Why? Clause 2 of the Farmers' Assurances defines farming produce to include all the food stuffs, edible oil, cotton, poultry products but leaves out tobacco. I request the hon. Minister that this can be included and there is nothing wrong in allowing the contract farming even in the case of tobacco for export purposes. Sir, two more minutes. In Andhra Pradesh, in YSR Congress, 'R' stands for Rythu or farmers. Historical decisions have been taken by the Andhra Pradesh Chief Minister, Shri Y.S. Jaganmohan Reddy Garu. Under the Rythu Bharosa-PM Kisan Scheme, 49 lakh or about 10 per cent of the State population of Andhra get Rs. 13,500 as financial assistance. Point number two is this. Sir, this is the highest in any State in India. There is another factor which can be followed by the other States also. Price Stabilization Fund of Rs. 3,000 crores to protect the farmers' interest has been created by the State of Andhra Pradesh by the Chief Minister. The third point is, the State, which is not anywhere in this country, Andhra Pradesh assured MSP for six crops such as chilli, turmeric, onion, minor millets, banana and sweet orange. I request the hon. Minister to include as many as possible under MSP. Next is, decentralized procurement centres for each village for all the crops. A total of 10,671 procurement centres have been planned and being established in Andhra Pradesh by the hon. Chief Minister. Sir, these Rythu Bharosa Kendras to provide all agricultural input series such as fertilizer and seeds to help the farmers.

Lastly, I wish to bring to your kind notice the hypocrisy of the Congress Party which is very important to be known to all the Members. I would like to show the Congress Manifesto to you. This is the Congress Manifesto which has been disclosed and released to the public. In this Congress Manifesto, their President's photo is also there. That symbol is also there. I draw your attention to Item Nos. 11 & 12 of the Manifesto under the head: Agriculture, Farmers and Farm Labour. What did they say? Why are they changing their stand now? Is it not a hypocrisy?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Please conclude.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, Point No. 11 says, "Congress will repeal the Agricultural Produce Market Committees Act and make trade in agriculture produce—including exports and inter-State trade—free from all restrictions." This is the Manifesto which they have released. Point No. 12 says," We will establish farmers' markets with adequate infrastructure and support in large villages... " This is what exactly the Government is doing now. What is this hypocrisy? Why are they opposing this Bill? There is no reason for Congress Party to oppose this Bill. Their objective is only one.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Reddyji, your time is over.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: * and today all those who support the Bills are pro-farmers and those against it are pro-middlemen. They are pro-middlemen.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Please. ...*(Interruptions)*... The next speaker is Shri Ram Chandra Prasad Singh. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: These Congress Members are well-versed with.....

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Next speaker is, Shri Ram Chandra Prasad Singh. ...*(Interruptions)*... We will go to the next speaker; Shri Ram Chandra Prasad Singh. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Let them learn Indian farming.

SHRI ANAND SHARMA (Himachal Pradesh): Sir, I have a strong objection to this.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Next is, Shri Ram Chandra Prasad Singh. ...*(Interruptions)*... Shri Ram Chandra Prasad Singh, please start. ...*(Interruptions)*... Please start. ...*(Interruptions)*...

THE LEADER OF OPPOSITION (SHRI GHULAM NABI AZAD): Sir,...

SHRI ANAND SHARMA: No; no. I have a point of order. ...*(Interruptions)*... I have a point of order. ... *(Interruptions)*... My point of order is about the Rules of this House, the conduct of a Member and the expression of a Member while speaking on a Bill. The Rules forbid a Member from making expressions which are accusatory and abusive. I want the Member, who has spoken just now, to retract and apologize to this House for the kind of language that has been used against the Congress Party; the

* Expunged as ordered by the chair.

party which fought for India's freedom and the party that made India what it is. ...*(Interruptions)*... What is your conduct? ...*(Interruptions)*... What is your character? ...*(Interruptions)*...

SHRI GHULAM NABI AZAD: He should be. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): We will definitely take it up. ...*(Interruptions)*... Sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: I don't want Congress Members to teach me rules and regulations.

SHRI ANAND SHARMA: We will teach you the history. ...*(Interruptions)*... We will teach you history. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Anand Sharmaji, if there is anything objectionable, we will take that out from the record. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... Anything objectionable will be taken out from the records. ...*(Interruptions)*... Please, it will be taken out from the records, if there is anything objectionable. ...*(Interruptions)*...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, ask him to apologise...*(Interruptions)*...

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Not retaliate for...*(Interruptions)*...

SHRI ANAND SHARMA: You are born out of ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Ram Chandra Prasad Singhji. ...*(Interruptions)*...

SHRI GHULAM NABI AZAD: You don't know the ...*(Interruptions)*... of our leader. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Now, Shri Ram Chandra Prasad Singh. ...*(Interruptions)*...

SHRI GHULAM NABI AZAD: Who has been jailed for corruption. ...*(Interruptions)*...

SHRI ANAND SHARMA: We will teach you history. ...*(Interruptions)*...

SHRI GHULAM NABI AZAD: He has not been bailed out. ...*(Interruptions)*... He has not been bailed out. ...*(Interruptions)*... Billions and billions. ...*(Interruptions)*...

SHRI ANAND SHARMA: We will put you in a place. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): I will examine. It will be examined and taken out of the records. ...*(Interruptions)*... It will be done. ...*(Interruptions)*...

SHRI ANAND SHARMA: We know the reason why you are supporting. ...*(Interruptions)*... We know the reason why they are supporting the BJP. ...*(Interruptions)*...

THE VICE CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): It will be done. ...*(Interruptions)*... Please.

SHRI ANAND SHARMA: Shame on you. ...*(Interruptions)*... Shame on your party. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Shri Ram Chandra Prasad Singhji, please start. ...*(Interruptions)*... I will check the records and it will be done. ...*(Interruptions)*...

SHRI ANAND SHARMA: It has to be. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): It will be. ...*(Interruptions)*... Please start. ...*(Interruptions)*... Ram Chandraji, please start your speech. ...*(Interruptions)*...

श्री रामचन्द्र प्रसाद सिंह (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, ...(**व्यवधान**)... उपसभाध्यक्ष महोदय, ...(**व्यवधान**)... मैं दोनों विधेयकों का समर्थन करता हूँ। ...(**व्यवधान**)... अभी मैं देख रहा हूँ कि हाउस में जिस प्रकार का माहौल है ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Please. ...*(Interruptions)*... Shri Ram Chandra Prasad will be speaking. Only that will go on record. ...*(Interruptions)*... Ram Chandra Prasad Singhji. ...*(Interruptions)*...

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह: महोदय, आज हम लोग कृषि पर चर्चा कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... सब लोग ...(**व्यवधान**)...

SHRI ANAND SHARMA: *

*Not recorded.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Please. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... Ram Chandra Prasad Singh*ji*, you please start. ...*(Interruptions)*... Only your part will go on record, nothing else will go on record. Please ...*(Interruptions)*... Reddyy.

SHRI K.C. VENUGOPAL: *

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: *

SHRI ANAND SHARMA: *

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Please. ...*(Interruptions)*... Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*... I have already told. It will be examined. ...*(Interruptions)*... It will be taken out of the records. It will be done. ...*(Interruptions)*... Please, allow the House to run. ...*(Interruptions)*... Now, Shri Ram Chandra Prasad Singh, please start. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... Ram Chandra Prasad Singhy, please carry on. ...*(Interruptions)*... Please start your speech. Nothing will go on record. Please start your speech. ...*(Interruptions)*... No, please sit down. ...*(Interruptions)*... You please start. ...*(Interruptions)*...

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह: बहुत-बहुत धन्यवाद, वाइस चेयरमैन महोदय। मेरा जो समय बरबाद हुआ है, वह दे दीजिएगा।

महोदय, मैं दोनों विधेयकों का समर्थन करता हूँ। अभी किसानों पर जो चर्चा हो रही है, तो यह ज़रा याद रखना चाहिए कि सब लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस देश में पहली बार कृषि पर नीति कब आयी? जब स्वर्गीय अटल जी प्रधान मंत्री थे और हमारे मुख्य मंत्री नीतीश बाबू कृषि मंत्री थे, तब जाकर 1999-2000 में पहली बार कृषि की नीति आयी। कृषि की नीति भी यहाँ नहीं बनी थी। 1991 में इंडस्ट्री में कितना बड़ा रिफॉर्म हुआ? उस समय एक मौका था कि इस देश के एग्रीकल्चर में भी रिफॉर्म लाते। हम लोग उसको miss कर गये। उस समय भी कितनी चर्चा थी, जब revolution हो रहा था, उसके पक्ष-विपक्ष दोनों थे। आज सब लोग कहते हैं कि वह अच्छा निर्णय था।

महोदय, अभी मैं सुन रहा था। जो पहला एक्ट है, सब लोगों की apprehension है, APMC वाली जो बात है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार हमारा पहला प्रदेश है, जब 2005 में वहाँ हमारी सरकार बनी, तो 2006 में ही हम लोगों ने वहाँ APMC Act को समाप्त कर दिया। क्यों समाप्त किया? चूँकि वहाँ पर क्या था, जितने आढ़तिये थे, जितने और लोग थे, जितने कमेटी में कर्मचारी लगे रहते थे, सब जगह भ्रष्टाचार था। मैं सुन रहा था कि APMC खत्म हो जाएगा,

*Not recorded.

म. प. 11.00 बजे

[श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह]

तो MSP का क्या होगा, production का क्या होगा, productivity का क्या होगा, तो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वहाँ APMC खत्म हुआ और आज आप ज़रा इस बात को देख लीजिए कि बिहार में जहाँ पहले कोई procurement 2005 में बहुत nominal होता था, आज 15 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान और गेहूँ का procurement होता है और किसानों को MSP मिल रहा है। इसलिए APMC खत्म होने से किसानों का MSP समाप्त नहीं होता है।

दूसरी बात, ज़रा agriculture production को देख लीजिए। जिस बिहार में 2005 में मात्र 81 million tonnes अन्न का उत्पादन होता था, आज यह 186 million tonnes है।

आप productivity के संदर्भ में देख लीजिए। बिहार धान, गेहूँ और आलू की productivity में नंबर एक पर रहा। इस प्रकार से हम जो एपीएमसी के बारे में बार-बार चर्चा कर रहे हैं, इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसके रहने से निश्चित रूप से एक vested interest रहता है और पूरा का पूरा agriculture का मार्केट clogged रहता है, लेकिन इसके आ जाने से किसानों को पूरी आज़ादी मिल जाएगी। इससे हमारे गाँव के किसान के पास ऑप्शन्स होंगे और जब ऑप्शन्स आते हैं, तो उनमें तरह-तरह के इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। सबसे जरूरी यह है कि हमारा जो एग्रीकल्चर है, rural economy है, उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए। आज ग्रामीण इलाकों में आबादी बढ़ गई है, इसके कारण लैंड होल्डिंग छोटी होती जा रही है। लोग उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इसमें contract farming की भी बात है। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में जो पॉलिसी आई थी, उसमें भी contract farming का जिक्र था। उस समय भी उस पर बहुत चर्चा हुई थी। अगर यह उस समय लागू हो गया होता, तो आज हमारी स्थिति दूसरी होती।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Sir, last minute remaining.

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह: महोदय, मैं आपके माध्यम से एग्रीकल्चर मिनिस्टर से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये दोनों बहुत अच्छे कानून हैं, इनमें कृषि को बहुत फायदा होगा, लेकिन मेरा एक अनुरोध है कि किसानों की आमदनी और कैसे बढ़े, किसानों को एक हेक्टेयर के लिए मिनिमम आमदनी कितनी हो, इसके लिए हमारी जितनी पॉलिसीज़ हैं, जितनी स्कीम्स चल रहे हैं, उन सब का एक बार अध्ययन करके सबको इस प्रकार से align किया जाए कि किसान इस बात के लिए आश्वस्त हो कि हमें साल भर में प्रति हेक्टेयर कम से कम इतनी आमदनी की गारंटी मिलेगी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Now, Shri Ragesh. Rageshji, you have for minutes to speak.

SHRI K.K. RAGESH (Kerala): Sir, during the last six years, we are all hearing the rhetorical statements of our Prime Minister and the various Ministers regarding the doubling of farmers' income by 2020. This is that year. I want to know from the hon. Minister whether farmers' income has already been doubled. No, Sir. But, suicides of farmers have got doubled. Now, we know that the Government has found out a shortcut to prevent suicide. How? Since 2016, the data regarding farmers' suicide is not getting published. This is the kind of Modi model of preventing farmers' suicide. Why are the farmers distressed? The Government has to consider that. Sir, input prices are rising. Why? Because there is no subsidy provided on input prices and at the same time, farmers are not getting even remunerative prices and that is why farmers are committing suicides. How to address this issue? Only, by ensuring Government intervention in the form of providing subsidy on input prices and also ensuring MSP and Government procurement. All these are important interventions on the part of the Government. But, unfortunately, both the Bills presented here, this is, in fact, the other way round and it is giving an unfettered disease, something of an unfettered liberalization of Indian agriculture. And, through that, the Government is simply abdicating its responsibility on agriculture and the Government is throwing the farmers of our country at the mercy of the corporate. And, Sir, regarding our mandi system, yes, there are lot many limitations. But, those limitations in mandi system needs to be addressed and rectified. I agree with that. But, at the same time, the mandi system provides a kind of competitiveness and that ensures at least some sort of remunerative prices to our farmers. Through this Bill, the Government is simply slow-poisoning the mandi system and that will ultimately lead to the killing of the mandi system of our country which is being formed through various States Acts. Hence, it is an encroachment on the powers of the State. And, Sir,...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Last minute, Rageshji.

SHRI K.K. RAGESH: And, after mandi system is being vanished, what will happen? The corporate will take all the opportunities to squeeze the farmers. You cannot expect corporates to provide remunerative prices to our farmers. They all are profit-mongers. They will squeeze our farmers. So, I am requesting the hon. Minister...

THE VICE CHAIRMAN (SHRI L. HANUMANTHAIAH): Please conclude.

SHRI K.K. RAGESH: Just one minute, Sir. I am requesting the hon. Minister to declare a MSP. There should be a provision in the Bill itself for declaring MSP for all

[Shri K.K. Ragesh]

the agricultural produce. Also, Sir, make a provision that when a corporate company purchases or procures any agricultural produce, it may be through contract or some other means. They should procur by providing at least the MSP, and if they are not providing the MSP, there should be a provision through which criminal and legal liabilities should be ensured. Sir, I will again request the hon. Minister to see the wrath which is going on throughout the country. All the farmers are agitating. On 25th of this month, a hartal is being called by the All India Kisan Sangarsh Coordination Committee. I am requesting the hon. Minister to listen to the wrath of the people to withdraw the Bill.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI L. HANUMANTHAIAH): Thank you, Rageshji.

SHRI K.K. RAGESH: Otherwise, you will be withdrawn by the people of our country. Thank you, Sir.

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Thank you, hon. Vice Chairman, Sir. My compliments to you, it is your maiden day.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI L. HANUMANTHAIAH): Thank you.

प्रो. मनोज कुमार झा: माननीय वाइस चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि प्रेमचंद के गोदान के जो गोबर और धनिया थे, अब वे उतने कमजोर नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है। अभी अचानक से बिहार सभी की बड़ी चिंता में आ गया है। मैं इसकी वजह जानता हूँ। माननीय प्रधान मंत्री जी ने बिहार में संबोधित करते हुए कहा कि गुमराह कर रहे हैं। साहब, आपने तो राहें गुम कर दीं, तो कोई क्या गुमराह करेगा?

महोदय, आज मैं बिल पर बोलूँ, इससे पहले मैं तमाम दलों से अपील करता हूँ और यह हृदय विदारक अपील है कि दलों के दायरे से ऊपर बढ़िए, क्योंकि किसानों ने व्हिप जारी कर दिया है। आपको यह तय करना है कि दल के इतिहास में रहना है या किसानों के दिल के इतिहास में रहना है? मैं आपको कह रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यह निर्बलीकरण का जरिया है। किसान की समझ आखिर क्या है? मुझे तो कई दफा लगता है, मैं माफी के साथ कहता हूँ; हमारे मंत्री महोदय संजीदा व्यक्ति हैं, लेकिन क्या किसानों की संकल्पना हॉलीवुड की फिल्मों से लेकर आ रहे हैं? आप हिन्दुस्तान के छोटी-मंझली जोत के किसान को समझते हैं? मैं एक बिहार के परिवार से आता हूँ। कल्पना करिए कि बिहार में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में चार कट्ठा, पाँच कट्ठा, छ: कट्ठा, एक बीघा, consumption से थोड़ा ऊपर, उसके उत्पाद की खरीद के लिए वहाँ शार्क आएगी? मैं समझता हूँ कि थोड़ा चिंतन, थोड़ी संजीदगी होनी चाहिए। मेजॉरिटी

बहुत tendency प्रोड्यूस करती है। मैंने पहले भी कहा कि इस तरह के low-hanging fruit से ज़रा बचना चाहिए। मैं मानता हूँ कि एपीएमसी में करप्शन के इश्यूज़ हैं, लेकिन आप ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि you throw the baby out with the bath water. शांता कुमार कमिटी ने आपसे पहले कहा था, उसके कुछ सुझाव थे। शांता कुमार जी तो विपक्ष के नहीं थे, आपकी पार्टी के हैं; उनको सुन लेते। आप जमाखोरों, बिचौलियों को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जब मैं आपके बिल का अध्ययन करता हूँ, तो आप रोहू, कतला को हटाकर शार्क को ला रहे हैं। कमाल कर रहे हैं साहब, कमाल कर रहे हैं। हमारा अनुभव यह भी बताता है कि कॉंट्रेक्ट फार्मिंग मूलत: cash crops के इर्द-गिर्द घूमती है। वैसी फसलों का क्या होगा, खाद्य की फसलों क्या होगा, उस पर आपका क्या नज़रिया है? मैं बिहार को लेकर कह सकता हूँ कि आपकी मक्के के लिए कुछ एमएसपी निर्धारित है। सर, 700 रुपए नीचे खरीद होती है। क्योंकि किसान की संकल्पना करनी होगी; मेरे पास पाँच कट्ठा जमीन है, मैंने प्याज उपजाया है, प्याज को निपटाकर अगली फसल लगाऊँगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि किसान के बारे में, उसकी संपूर्णता में सोचिए कि वह किसान आपसे क्या चाह रहा है? मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि मैं बीते दिनों में आपके तमाम बिल्स और एक्ट्स देख रहा हूँ। आप रेडियो, टेलिविज़न पर सहकारी संघवाद कहते हो, लेकिन अहंकारी संघवाद के हिसाब से काम करते हो। राज्यों के दायरे में घुसते जा रहे हैं, तो मैं तो अपील करूँगा कि एक झटके में राज्यों को खत्म कर दीजिए। "न रहेगा बाँस, बजेगी बाँसुरी।" महोदय, आखिरी टिप्पणी करने से पहले मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँ कि आज भारत का किसान आपकी ओर देख रहा है, सदन की ओर देख रहा है। मैं बार-बार दोहराऊँगा कि भारत का किसान आज यह अपेक्षा कर रहा है कि आप क्या करने जा रहे हैं? ऐसा न हो कि वह ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप हालात हो जाएँ, वैसे भी हम धीरे-धीरे पूँजी की गिरफ्त में जा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि पूँजी कुछ लोगों को बहुत आराम देती है। वह कुछ को तो आराम देती है, लेकिन बाकी की जिन्दगी में कोहराम मचा देती है। यह तय कीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। आखिरी टिप्पणी करने से पहले मैं यह कहना चाहूँगा...

उपसभाध्यक्ष (डा. एल. हनुमंतय्या): प्रोफेसर जी, आपका लास्ट मिनट है।

प्रो. मनोज कुमार झा: सर, मैं जानता हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि उस कुर्सी में ही कुछ है। ...**(व्यवधान)**... सर, एक चीज़, जो मैं आखिरी टिप्पणी से पहले कहना चाहूँगा, वह यह कि जब आप मँझोले-छोटी जोत के किसान की बात करते हैं, तो आप कहते हैं कि आप उनकी इनकम डबल करेंगे। सर, कहाँ? क्या आप उसको कब्र में लिटाकर उसके ऊपर इनकम लगा देंगे? वह बचेगा ही नहीं! उसके खात्मे की इबारत आप लिख रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर यह सदन आज यह बिल पास करता है, तो आप इंडियन फार्मिंग कम्युनिटी की, भारतीय किसानों की obituary लिख रहे हैं। लेकिन हाँ, जैसा मैंने पहले कहा, किसानों ने व्हिप जारी कर दिया है। यह कहानी हरियाणा-पंजाब तक नहीं रहेगी, यह बिहार तक जाएगी, क्योंकि यह नहीं हो सकता। मैं मानता हूँ कि भाजपा के भी हमारे मित्र, वे भी एक बार सोचें कि आप क्या करने जा रहे हैं। सर, आखिरी बात।

उपसभाध्यक्ष (डा. एल. हनुमंतय्या): थैंक यू।

प्रो. मनोज कुमार झा: बस सर, इकबाल कह गए थे, वह "जय हिन्द" बोलने दीजिए न!

"जिस खेत से दहक़ाँ को मयस्सर नहीं रोज़ी,

उस खेत के हर ख़ोशा-ए-गंदुम को जला दो।"

जय हिन्द, जय किसान।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Thank you, Prof. Jha. The next speaker is Dr. Amar Patnaik.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Thank you so much, Sir, and congratulations to you because it is your first day in the Chair. ...*(Interruptions)*... Sir, how many minutes I have? ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): You have eight minutes.

DR. AMAR PATNAIK: Sir, we all know so far there have been several revolutions in the field of agriculture in this country. The first was the Green Revolution. It was on the farm and we had self-sufficiency in foodgrains because of the Green Revolution. Then there was the White Revolution and that was in the dairy sector. We had Amul and in the entire sector we were self-sufficient, not only self-sufficient, we were able to get into processing. That was a big change. That was a big benefit to the milk producers and people who are involved in this. So, what was required and long overdue was a revolution in the markets, in the agricultural markets. So, these two Bills which the Government says will change the ecosystem of the agricultural marketing, that is, on the fields, I would say they are largely good on intent but completely or probably largely again ignore the implementation aspects. Why did it have to be this way? We have to evaluate the agricultural sector or the agricultural marketing sector where these Bills have been brought in from a point of view as to who are the stakeholders. The stakeholders are the farmers, the traders, the buyers, including Government agencies and the intermediaries. We can think about the reduction in the cost of the intermediation. But can we completely change them? Can you completely remove them from the system? What we are bringing in is whether it is an indirect method of getting intermediaries into the system as a part of the contract-sponsor or as a part of the trader. We have to think about that. We have to think whether a farmer, a small and

marginal farmer is in a position to speak about or know about grading, grading in produce, so as to be in a position to sign a contract. There are structural issues in the Indian agriculture where about 63 per cent farmers are small and marginal; 86 per of the landholdings are with small and marginal farmers. That is why we had the KALIA scheme in Odisha and the Prime Minister Kisan Nidhi. So, it is an established fact that Indian agriculture cannot be thought of without thinking about the small and the marginal farmers. We cannot think about Indian agriculture or the marketing sector without thinking about the sharecroppers and tenure farmers. Who will take care of them? We had a scheme of Balaram recently in Odisha where we gave joint liability partnership agreements to take care of these people. Now, these are structural issues. There is a structural issue of distress sale. Often small and marginal farmers are facing distress sale. So, when we design a scheme, we have to think whether the playing field is level, whether there is unequal kind of power centres or power asymmetries between the buyers and sellers in which case no market can function. There will be a market capture. The buyers are key to the agricultural market. We have to get the buyers. I always say that when we ring up over telephone to Khan Market to get butter chicken, you are not using any market place. You are using the telephone. That is the infrastructure, and you are creating a transaction. So, we need to have buyers and currently, I am not sure if the Bill is going to bring buyers into the market which anyway is not happening and therefore, there is a possibility of cartelisation. It is very important to remove information asymmetry which is again currently inadequate and the Bill fortunately talks about a price information system which is a good thing about the Bill. But the most important thing, which I said because of all these aspects of the small and marginal farmers, remunerative prices cannot be solely guaranteed by the market. There is going to be market failure, in which case, who is going to take care of it? There is going to be market capture as it probably happens now. So, we have the minimum support price. There is a misconception or even if it is conjured up, I do not know. The communication with the farmers is not there at all. There is a feeling that the minimum support price is set to go and the distress might set in once again. It is very important that the M. S. Swaminathan Report of the C2 costs and 50 per cent more than that has to be implemented. Without thinking about these things, just to get into the contract between contract farming or the trade or freeing the trade may not give the desired results. We have to think about the farmer's insurance scheme. It is an income support scheme. We have to go away from the weather-based system or a crop cutting experiment

[Dr. Amar Patnaik]

system to an assurance system. Only then the farmers will be in a position to bargain with the big corporate players. The pre-harvest and post-harvest issues are two different things and unfortunately, they have been conflated in these two Bills. The post-harvest infrastructure at the farm gate level requires to be augmented. There has to be investment in that by these two Bills. Is it going to happen? Will the contract sponsor be investing in this or as we have seen in Bihar where APMC Act was repealed, there was no investment in the existing market. It was leading to the deterioration of even the existing structures. Sir, I am not getting into the details of the Bill, but I can only say that there are things like apiary, the bees, the niger, the maize etc. which are not included as agricultural produce, where contract farming is possible and we have seen in Odisha that it is possible. In the entire two Bills, when the levy of fees has been removed, I really do not understand, how is the market development going to take place in the post-harvest infrastructure scenario? How is the intermediation, aggregation and storage going to improve? You had a Warehousing Receipt Scheme. The entire marketing structure fails if the Warehousing Receipt Scheme doesn't work properly. Has it been evaluated? We have a situation in which the small and marginal farmers. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Dr. Patnaik, this is your last minute.

DR. AMAR PATNAIK: The small and marginal farmers do not even have the opportunity to get a minimum support price. So, is the Bill only for the big traders? It is a commerce and trade oriented Bill? Is it moving towards the dilution of the Minimum Support Price? There is a huge miscommunication in the field, particularly in the farmer's procurement areas. So, I would strongly urge the Government and the hon. Minister to consider sending these two Bills to the Select Committee for further examination and clarification and fine tuning some of these provisions to take care of the structural issues in Indian agriculture, particularly the small and marginal farmers. Thank you very much.

श्री नरेश गुजराल: मैं पंजाब दे लोकां नू दसना चाहनां कि हिन्दुस्तान दी पार्लियामेंट त्वाडी आवाज़ उठान लई, अज अकाली दल नू केवल दो मिनट दे रही है और दो मिनट सानु इस वास्ते मिल रहे ने, क्योंकि त्वाडे हकां दी रक्षा करन लई असी मंत्री मंडल तों इस्तीफा दे दित्ता। Sir, I want to remind this nation of the 60s when India was going around with a begging

bowl. It was a matter of shame for every Indian, and today, if India is self-sufficient in food, if you are exporting food, it is thanks to the farmer of Punjab who feels threatened today by these Bills that you are about to pass in this Parliament. He feels that his interests are being sold to corporates and big business houses. Sir, at the same time, it is ironical that in the last six years what the NDA Government has done for the farmer the Congress never did in its ten years tenure. The MSP in the last six years went up, in terms of percentage, much higher than what had happened in the ten-year period of UPA. The fact is, today, the Government is also giving DBT of ₹ 6,000 to every farmer. Yet, why is it that farmer feels aggrieved? Why is it that the farmer feels that his voice is not being heard? It is because there is trust deficit or communication gap. That is why, we are telling this party, again and again, to please send this Bill to a Select Committee, so that all stakeholders can be heard. सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पंजाबी की एक कविता है,

"ऐ दुनिया मन्ने ज़ोरां नू, लख लानत है कमज़ोरां नूं।
ऐ जीभ दंदां विच रैंदी है, पर हिलदे दंदां नू कैंदी है,
परांहट नहीं है लोड़ तेरी, ए जगह नहीं कमजोरां दी।"

आप पंजाब के farmer को कमज़ोर मत समझिए। हर पंजाबी गुरुओं की औलाद है, गुरुओं की सन्तान हैं। हमने अपने गुरुओं से सीखा है, गुरु अर्जुन देव महाराज से सीखा है और गुरु तेग बहादुर जी से भी सीखा है कि कुर्बानी का क्या मतबल होता है। हमने गुरु गोबिन्द सिंह जी से सीखा है कि ज़ुल्म का सामना करो। हमने मुगलों का सामना किया, हमने ब्रिटिश साम्राज्य का सामाना किया और हमने कांग्रेस के ज़ुल्म भी सहे। अगर पंजाब में ज़ुल्म होंगे, क्योंकि आज farmer की यह perception है कि उसके ऊपर ज़ुल्म हो रहा है, तो अकाली दल हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा, जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा, हम करेंगे।

माननीय मंत्री जी, मैं अंत में आप से एक ही निवेदन करुंगा कि जो चिंगारी आज पंजाब और हरियाणा में लगी है, इसे आग में मत बदलने दीजिए, इसे रोकिए। कहीं यह न हो कि इतिहास के पन्नों में यह लिखा जाए,

"लम्हों ने ख़ता की थी,
सदियों ने सज़ा पाई।"

SHRI M. V. SHREYAMS KUMAR (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, in reality farmer receives as little as 1-4 per cent of what the consumer pays when corporation control the food system through deregulated commerce, and Governments stops playing their role as guardians of public good.

Shri M. V. Shreyams Kumar

In a contractual relationship, farmers cannot negotiate or bargain on equal terms with corporate. They are unequal in bargaining. These proposed legislations only result in unequal bargaining.

The Bill makes radical changes in India's time tested agriculture policies —from 'food first' to 'trade first' and from 'farmers first' to 'corporate first.'

Coming to the second Bill, the subject matter of this Bill pertains to Entry 14 (Agriculture) of List-II of the State List. The slogan 'One-India-One-Agriculture-Market' which is the basis of the Bill is totally flawed. Each State and each crop has its unique characteristics and nuances which cannot be homogenized. That is why, our founding fathers in their wisdom had included 'agriculture' in the State List. The Centre is taking shelter under the Residuary Powers claiming that this Bill deals with inter-State trade of agriculture produce. This is nothing but a wolf in sheep's clothing. It is nothing but Centre's encroachment into the sphere of the States. This is the direst warning to the States and the most brazen form of attack on federalism. This means, anybody can be a sponsor. This will bring in fly-by-night operators dictating price and terms to the farmers.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Please conclude.

SHRI M. V. SHREYAMS KUMAR: To protect farmer's interests, it is necessary that sponsors must be credible, long-standing and with sufficient net worth. The real intent is to do away with MSP. The Government will exit and the corporate will step in. So, I urge the House to send these Bills to a Select Committee. Thank you.

SHRI G. K. VASAN (Tamil Nadu): Sir, ours is primarily an agrarian economy where agriculture contributes a major chunk of our GDP. It becomes imperative upon the Governments, both the Centre and the State, to ensure that the farmers overcome their difficulties. The objective of this important Bill is to provide protection and prosperity to farmers. At the same time, we all know that farmers are facing a lot of problems and restrictions while selling their produce outside the Agricultural Produce Market Committee and also in going only to registered licence holders. There are restrictions on inter-State flow of agricultural produce too. This Bill, we feel, empowers to engage the investors of their choice. At the same time, I will be failing in my duty, as a person who comes from the agricultural community, if I do not say that it seeks to enhance the apprehension

of the farmers. There are a few apprehensions like how much benefits will be derived by farmers when this Bill comes into force. So, I kindly request our hon. Agriculture Minister that he should address the apprehensions and clear the doubts further, if any, in the minds of the farming community in any State, which is very important. To conclude, we all need to respect the farmers and ensure that they get suitable price for their produce so that their livelihoods are safeguarded and the quality of their life improves. The Tamil Manila Congress Party supports this Bill. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Thank you, very much. The next speaker is Shri Abdul Wahab.

SHRI ABDUL WAHAB (Kerala): Sir, I myself and on behalf of my Party, totally oppose this Bill because basically it is against Article 246 and the Seventh Schedule of the Constitution. So, even if this Bill is passed with a majority vote in Kerala itself, we will go to the Supreme Court. One more thing, I am very sad that though the SAD Minister has resigned, still they are supporting the NDA Government. If they are sincere, let them withdraw their support from the NDA and agitate. Before concluding, I would say, please send this Bill for further discussion and negotiation to a select committee. Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Thank you. The next speaker is Shri Kanakamedala Ravindra Kumar.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Sir, I thank you for having given me this opportunity. Farmers have serious concerns about this Bill. Firstly, it prohibits the State Governments from collecting the market fee, cess or levy for trade outside notified APMC *mandis*, removes inter-State trade barriers and provides framework for electronic trading directly between a buyer and a farmer. In simple words, it breaks the States' control over farmers enabling them to choose whom they want to sell to.

As per the Bill, without paying the market fee, the corporate sector will purchase agriculture produce outside the market through brokers according to the price fixed by them and required quantity. The AAPMC system will be collapsed. Farmers will have to depend on the mercy of the corporate sector.

Then, another concern is that it allows farmers to get into contract with private corporates at a mutually agreed price. It is also their concern that this would do away with minimum selling price or MSP leading to exploitation of farmers. The Government has to clarify this.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Shri Ravindra Kumar, please wear the mask.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Since there is no restriction to store the agricultural products, the corporate sector may store the entire stock, they can control the demand and supply system and may seek more profits. Ultimately, the consumer has to pay more price whereas the farmers may not get even the Minimum Support Price.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Thank you.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Finally, Sir, when there are less agricultural products, there is no provision to safeguard the interest of the farmers. We have to prevent the suicides of the farmers all over the country in general and the State of Andhra Pradesh in particular since the Andhra Pradesh Government is working totally against the farmers. The number of suicide cases is more in Andhra Pradesh due to the policies of the Andhra Pradesh Government. On the question of dispute resolution mechanism, I would like to submit that ...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Thank you Ravindra Kumarji. Your time is over.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Ultimately the Government has to clarify all these issues and give assurance to the farmers. I request the hon. Minister to clarify all these things in these Bills.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): The next speaker is, Shri Praful Patel.

श्री प्रफुल्ल पटेल (महाराष्ट्र): धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे देश की आज़ादी के 73 साल के बाद आज भी हमारे देश के अधिकांश लोग गांवों में रहते हैं और कृषि पर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। देश में हमारे किसानों ने जो प्रगति की है, उसका हम जितना भी उल्लेख करें, प्रशंसा करें, वह कम है। एक ज़माने में हम अमेरिका से लाल गेहूं आयात करके हमारे देश की आबादी को अन्न देते थे, जिसे PL-480 का गेहूं कहा जाता था और आज जिस तरह से हमारे देश के किसानों ने प्रगति की है, जिस मात्रा में हम अनाज की और बाकी सभी वस्तुओं की पैदावार कर रहे हैं, उससे आज केवल हमारे देश के लिए ही नहीं, बल्कि विश्व के लिए भी हमारे देश के किसान, देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग हमारे देश की उन्नति और सम्पत्ति बढ़ाने में कामयाब हुए हैं।

(उपसभाध्यक्ष, श्री भुबनेश्वर कालिता *पीठासीन हुए।)*

महोदय, यहां पर हमारे कई माननीय सदस्यों ने पंजाब और हरियाणा के किसानों की बात की। यह बात सही है कि शुरुआत में पंजाब और हरियाणा के किसानों ने बहुत अधिक मात्रा में अनाज की पैदावार करके हमारे देश को अनाज की पूर्ति की और अब अगर आप इसकी मात्रा देखें तो पूरे देश के किसानों ने - देश के हर सूबे में अगर आप देखेंगे तो किसानों ने बहुत प्रगति की है, हमारे देश की उन्नति में उन्होंने अपना योगदान दिया है। आज हम महाराष्ट्र में भी देखते हैं कि गांव-गांव में किस तरह से किसानों ने उनकी जो परम्परागत पैदावार थी, उससे हटकर नयी पैदावार की ओर जाने की हिम्मत और साहस दिखाया है। केवल महाराष्ट्र में ही नहीं, अगर आप कर्णाटक में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में देखें या अन्य राज्यों में भी देखें तो किसानों ने अपनी परम्परागत फसल को बदलकर, जिसमें दो पैसे ज्यादा मिल सकते हैं, उस पैदावार की ओर जाने का प्रयत्न भी किया है। इन सारी चीज़ों को नियंत्रण देने, इसको आगे बढ़ाने के लिए सबके विचारों के आदान-प्रदान की जरूरत है। आज हमारे देश में जिस तरह से हमारे..

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): धन्यवाद, अब समाप्त कीजिए। I know this is a very important Bill. We have to hear every Party, every single Party. We have to listen to their views.

श्री प्रफुल्ल पटेल: सर, अभी श्री भूपेन्द्र यादव जी ने शरद पवार जी का नाम लिया। हमारे देश में शरद पवार जी हैं, बादल साहब हैं, जो किसानों के बहुत बड़े नेता रहे हैं, जिन्होंने देश के किसानों को दिशा दी है - शरद पवार जी दस साल तक कृषि मंत्री रहे हैं। अगर हम लोग नयी नीति की ओर जाना भी चाहते हैं, उसके लिए अगर ऐसे नेताओं से चर्चा की होती, विचार-विमर्श किया होता तो निश्चित रूप से उसका फायदा हमारे देश के किसानों को होता और सरकार को भी होता।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): धन्यवाद पटेल साहब।

श्री प्रफुल्ल पटेल: उनसे विचार किया होता कि किसानों के लिए किस तरह की नीति बनायी जाए। आज हमारी कृषि बाज़ार समितियां हैं, पूरे देश में हैं, उनका भविष्य क्या होगा, इसके बारे में भी विचार और चिंतन करने की जरूरत थी। सर, भूपेन्द्र यादव जी ने अपने भाषण में Farmers Produce Organizations की बात कही। यह बात भी सही है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you, Mr. Patel. Please conclude. Please conclude.

श्री प्रफुल्ल पटेल: महाराष्ट्र में और पूरे देश में कई Farmers Produce Organizations तैयार हुए हैं जिन्होंने आज किसानों की सोच बदलने का काम किया है। इसीलिए मेरा यही कहना है कि अगर आप क्रांतिकारी बिल लाकर किसानों के भविष्य को बदलने की मंशा रखते हैं..

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): धन्यवाद, अब समाप्त करें।

श्री प्रफुल्ल पटेल: तो इस संबंध में शरद पवार जी जैसे किसानों के कद्दावर नेताओं से आप चर्चा करते। कृषि के क्षेत्र में माननीय शरद पवार जी की प्रशंसा कई बार स्वयं प्रधान मंत्री जी ने भी की है। अगर आप उनसे बात करके, चर्चा करके फिर यह बिल लाते तो मैं समझता हूं कि किसानों के लिए बहुत अच्छी बात होती, बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): The next speaker is Shri Biswajit Daimary.

श्री बिस्वजीत दैमारी (असम): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। सर, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हम कृषि के ऊपर ही निर्भर करते हैं। मैं इस बिल का इसलिए सपोर्ट करता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए सरकार ने इसके ज़रिए जो कानून बनाने की व्यवस्था की है, वह लाभदायक होगा। कृषि विभाग, जो राज्यों के नियंत्रण में रहे थे, तो जैसी चिंताएं जताई जाती हैं, मैं सोचता हूं कि इस बिल के बाद भी राज्य सरकारें खुद किसान की सुरक्षा के लिए अपनी व्यवस्था ला सकती हैं, कानून बना सकती हैं। इस तरह से दोनों चीज़ें मिलकर हमारे देश के किसानों के लिए लाभदायक होंगी। हमारी जो कृषि उत्पादित सामग्री है, वह कॉरपोरेट सैक्टर तक जानी चाहिए। वह जब तक वहां नहीं पहुंचेगी, तब तक कृषक जिस तरह आज से 50 साल पहले की स्थिति में था, वह ऐसी ही स्थिति में अगले 50 साल तक रहेगा। अगर किसान को डेवलप करना है, तो इसी तरीके की कुछ व्यवस्था करनी बहुत जरूरी है।

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा (उत्तर प्रदेश) सर, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मैं बहुत सूक्ष्म में अपनी बात रखूंगा, क्योंकि समय भी कम दिया गया है। सभी जानते हैं कि देश की रीढ़ की हड्डी किसान ही हैं और हम सब उनके ऊपर निर्भर रहते हैं। आज अगर आप यह कहते हैं कि आप यह ऐतिहासिक बिल लाए हैं, इसमें अगर किसानों में एजिटेशन हो रहा है, तो वह क्यों हो रहा है? यह सिर्फ एक बात को लेकर हो रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि उनको जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है, वह मिलना बंद हो जाएगा। माननीय मंत्री ने यह बात कही, माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी बात कही है और अभी उनकी तरफ से भूपेन्द्र यादव जी ने भी कहा है कि यह मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म नहीं होगा। अगर आप यह कह रहे हैं कि यह मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म नहीं होगा, तो इसका आश्वासन आपने दिया है, इसको अगर रूल्स में या ऐक्ट में ले आए होते, तो शायद आज यह चर्चा दूसरी तरह से हो रही होती। मेरा आपसे यह कहना है कि किस तरह से आप किसानों को यह यकीन दिलाएंगे कि उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा? अगर कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग होगी या अगर वह ट्रेडर्स के थ्रू फार्मिंग होगी, तो उतना मिनिमम प्राइस जो आप डिक्लेयर करेंगे, वह उनको अवश्य मिलना चाहिए।

दूसरा, बिल से यह clear नहीं हो रहा है, जिसको मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी थोड़ा clear कर दें कि फार्मर्स के पास क्या च्वाइस होगी कि अभी जो प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया में वह अपने प्रोड्यूस को जाकर स्टेट की मंडी समिति में दे सकते हैं और वहां पर अगर स्टेट गवर्नमेंट ने मिनिमम प्राइस फिक्स किया है, उसमें वे बेच सकते हैं? अगर उनके पास यह alternative है, तो शायद जो अभी दिक्कत हो रही है और जो फार्मर्स के माइंड में आ रहा है कि ऐसा तो नहीं कि कहीं हम जो present situation है, उससे भी खराब situation में चले जाएंगे। यह स्थिति उनको स्पष्ट हो जाएगी।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): आपका समय हो चुका है, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: सर, आपने दो मिनट दिए हैं, अभी तो एक ही मिनट हुआ है।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): दो मिनट हो गए हैं।

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: सर, आपसे आधा मिनट और लूंगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने जो प्रोविज़न्स दिए हैं, चूंकि यह सेलेक्ट कमेटी में नहीं गया है, एक चीज़ जरूर देख लें कि आपने फार्मर्स को जो अपील करने के लिए प्रोविज़न दिया है, उस प्रोविज़न में आपने 30 दिन का समय दिया है। लेकिन जहां पर ट्रेडर्स को आपने समय दिया है, उनको 60 दिन का समय दिया है और साथ में उनके लिए यह भी प्रोविज़न किया है कि अगर उतने दिन में नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद भी एक condonation के साथ में further अपील फाइल कर सकते हैं। जबकि फार्मर्स के लिए 30 दिन की लिमिटेशन रखी गई है और उसे नहीं बढ़ाया गया है। उसमें कोई प्रोविज़न नहीं रखा गया है कि वह उसके बाद भी अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। इसलिए उनका यह राइट वहां खत्म हो जाएगा। फार्मर्स अनपढ़ होते हैं, परेशान रहते हैं, उनके पास वकीलों की बारात नहीं रहती है, जबकि ट्रेडर्स के पास और जो कॉन्ट्रेक्ट ले रहे हैं, उनके पास होगी। इसलिए या तो आप इस प्रोविज़न को, जो आपने सेक्शन 10 (1) में ट्रेडर्स के लिए दिया है उसके सेक्शन 8 में फार्मर्स के लिए भी इन्क्लूड करें और इसका क्लैरिफिकेशन रूल्स में लाकर इसको clear किया जाए, जिससे कि उनका यह राइट किसी प्रकार कम न हो जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री संजय राउत (महाराष्ट्र): सर, आज देश में हमारी 50 परसेंट आबादी और 70 करोड़ लोग खेती से जुड़े हैं। पूरा देश जब लॉकडाउन में घर में बैठा था, तब हमारे किसान थे, वे खेती में खून-पसीना बहा रहे थे और इसलिए हम आज अनाज खा रहे हैं। सरकार बार-बार यह कहती आई है कि किसानों की इनकम डबल करेंगे, लेकिन आज आप जो बिल ला रहे हैं, जिसमें आपने कहा है कि यह किसान के हित में है... क्या आप देश को आश्वस्त कर सकते हैं कि यह जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए बिल है, यह मंजूर होने के बाद हमारे किसानों की इनकम सचमुच में डबल हो जाएगी और एक भी किसान इस देश में आत्महत्या नहीं करेगा, उनके बच्चे भूखे नहीं सोयेंगे? अगर आप इस देश के किसानों को इस बारे में आश्वस्त करते हैं, तो

[श्री संजय राउत]

मुझे लगता है कि यह सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आज पंजाब और हरियाणा के किसान सड़कों पर आए हुए हैं। अगर यह एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात है, तो किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? किसानों के ऊपर लाठियां क्यों चल रही हैं? अगर यह बिल किसान विरोधी है, तो इसका पूरे देश में विरोध क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब है कि इस बिल के बारे में भ्रम है, थोड़ा कन्फ्यूज़न भी है।

कृषि बिल के बारे में प्रधान मंत्री जी ने कहा कि यह किसानों के लिए नई क्रांति है, नई आज़ादी है। एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था खत्म नहीं की जाएगी, यह सिर्फ अफवाह है, तो क्या अकाली दल के मंत्री ने एक अफवाह पर भरोसा करके केबिनेट से इस्तीफा दे दिया? ये इतने कच्चे कान के खिलाड़ी हैं कि सिर्फ अफवाह सुनकर मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं?

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): संजय राउत जी, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री संजय राउत: सर, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया और आप खत्म करने की बात कह रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): आपके पास बोलने के लिए सिर्फ दो ही मिनट का समय है। आपको उसी में अपनी बात कहनी है। ...**(व्यवधान)**.... हर एक पार्टी को सुनना है।

श्री संजय राउत: नहीं, नहीं। हमको मालूम है।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): आप बाद में बोल लीजिएगा। दूसरे बिल पर बोल लीजिएगा। ...**(व्यवधान)**... इस पर हर एक पार्टी की ओपिनियन लेनी है। यह बड़ा महत्वपूर्ण बिल है।

श्री संजय राउत: आप कहते हैं कि यह किसान का ...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): कभी बाद में बोल लीजिएगा। लेकिन इस बिल पर दो मिनट का समय है। आपका दो मिनट बोलने का समय हो चुका है। आप समाप्त कीजिए।

श्री संजय राउत: आप कहते हो कि एम.एस.पी. की व्यवस्था रहेगी। आप कहते हो कि मंडी की व्यवस्था रहेगी और मंडी के बाहर भी माल बेचा जा सकेगा। आप कहते हैं, "वन नेशन, वन मार्केट", लेकिन आपने तो दो मार्केट बना दिए हैं, एक मंडी के अंदर भी मार्केट है और एक मंडी के बाहर भी मार्केट है। मंडी के बाहर की जो मार्केट है, वह कॉरपोरेट लोगों के हाथ में है, बड़ी-बड़ी कम्पनियों के हाथ में है, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में है और धीरे-धीरे ये लोग मंडी में भी जायेंगे और मंडी पर भी कब्जा करेंगे।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): अब आप समाप्त कीजिए।

श्री संजय राउत: सर, अभी दो मिनट का समय नहीं हुआ है।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): आपका दो मिनट का समय हो चुका है और आपको दो मिनट से ज्यादा बोलने का समय दिया है। अब आप समाप्त करिए। अब मुझे दूसरे स्पीकर को बुलाना पड़ेगा।

श्री संजय राउत: सर, धीरे-धीरे खेती का व्यवसाय, यह खेती भी कॉरपोरेट के हाथों में जा रही है, निजी लोगों के हाथों में जा रही है, इसलिए हमको इसे बचाना पड़ेगा। आप दो-दो मिनट की बात करते हो या दो घंटे की चर्चा की बात करते हो, यह भी किसानों के ऊपर अन्याय है। अगर आप किसानों के हित की बात करते हो, दो या तीन बिल एग्रीकल्चर के रिफॉर्म के लिए लाते हो, तो जो लोग इस बारे में बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए पूरे एक दिन की चर्चा होनी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): धन्यवाद।

श्री संजय राउत: एक दिन का विशेष सत्र बुलाना चाहिए, तब इस प्रकार के बिलों पर चर्चा होनी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): आपका सजेशन नोट किया गया है, धन्यवाद। श्री बिनोय विस्वम ।

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, if we listen closely, we can listen to the death knell of Indian farmers. This Bill is meant for that purpose only. Every time the Government come to the House, it says about *Annadata*. You quoted even Thiruvalluvar. What will happen to *Annadata* if the Bills are passed? They will be thrown from the frying pan to the glowing fire; they will be no more. Out of total number of Indian farmers, 86.2 per cent are those who own less than one hectare of farm land. Those poor peasants are now asked by the Government to negotiate with Monsanto and such kinds of Wal-Mart and, of course, Reliance and get their share. I know the Government has studied the experience of Brazil and Mexico where these steps have been taken earlier. What happened there? There, the agriculture has been thrown into the FDI culture, and the same thing will happen in India too. The FDI culture is going to finish the Indian agriculture. That is what is going to happen here.

Many States of the country, including the Government of Kerala, have informed the Central Government about the necessity to consult the States. We say, "This is a federal country. Why was the voice of the States ignored?" The Government of Kerala is very strong that this cannot be allowed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude, Mr. Viswam.

SHRI BINOY VISWAM: Sir, I will take only one minute more. Kisans are on the work path. This month, on 25th, they will be on the streets questioning the anti-farmer measures. I request the Minister here, if the statement about the MSP is true and sincere, kindly, while responding to the discussion here, he should move an official amendment here, saying that he will add a clause ensuring the MSP for the farmers. In that case, I promise you, even though we oppose you politically, the Communist Party of India will support this Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you very much, Binoy Viswamji. The next speaker is Sardar Sukhdev Singh Dhindsa. ढिंडसा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। साउंड सिस्टम विभाग वाले, प्लीज़ देखिए।

एक माननीय सदस्य: सर, अभी आवाज़ आ रही है।

सरदार सुखदेव सिंह ढिंडसा (पंजाब): उपसभाध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मैं पंजाबी भाषा में बोल सकता हूं?

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): जी, बोलिए।

सरदार सुखदेव सिंह ढिडसा: सर, मेरा कितना टाइम allotted है?

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): आपकी पार्टी के दो मिनट हैं, आप बोलिए।

सरदार सुखदेव सिंह ढिंडसा: सर, थैंक यू। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं इन दोनों बिलों के खिलाफ बोलने वाला हूं, क्योंकि मेरी पार्टी नई पार्टी बनी है, जो पहले दिन से ही किसानों के साथ खड़ी है। आज लोग सोचते होंगे और ये लोग कह भी रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा में किसान सड़कों पर क्यों आए हैं? वे सड़कों पर इसलिए आए हैं, क्योंकि उनके दिल में एक दर्द है। *I want to tell the Hon. Minister that Mr. Minister, Punjab suffered a lot of pain and agony in 1947. Punjab suffered a lot in 1984 also. Punjab has repeatedly suffered many crises. And the farmers of Punjab in 1965.. there have been two wars with Pakistan and in both the wars, the Punjabis - whose sons' were they? they were the sons of the farmers and therefore, those soldiers being the sons of the farmers, today the farmers are pained. The farmers have this grouse that their sacrifices are not being reciprocated. Regarding the MSP, many hon. Members said that the MSP should be there.

---

*English translation of the Punjabi portion.

I also say that MSP should be there but I want to ask as to whether anyone has given appropriate MSP as per the needs of the farmers till date. Any Government that may have come, neither did they give MSP in tandem with the Price Index as demanded by the farmers nor did they give MSP as per the scientific way suggested by the universities. Like procurement price for Maize is ₹ 1,850/- but it is being lifted/ purchased for less than ₹ 1,000/-per quintal. Can I ask the Hon. Minister as to what is the use of MSP when it is not being given.

So, it is my request that either you refer these Bills to a Select Committee or you constitute a Committee so that the farmers who are agitating on the roads now, they have blocked the roads..

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): ढिंडसा जी, आप एक मिनट रुकिए। आपने शायद नोटिस नहीं किया है कि आप पंजाबी भाषा में बोलेंगे, इसलिए interpretation में दिक्कत हो रही है। आप जल्दी समाप्त कीजिए।

सरदार सुखदेव सिंह ढिंडसा: सर, मैं हिन्दी में बोल देता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): जी। आप दो मिनट बोल चुके हैं, आप कृपया समाप्त कीजिए।

सरदार सुखदेव सिंह ढिंडसा: मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप उन किसानों की सुनिए, जिन किसानों ने उस वक्त अनाज दिया, जब देश को जरूरत थी, जरूरत उस वक्त थी, जब 1960 में हरियाणा और पंजाब इकट्ठे थे, कि आज पंजाब और हरियाणा के किसान क्यों दुखी हैं। इसलिए मैं विनती करना चाहूँगा कि आप इसको या तो सेलेक्ट कमिटी को दीजिए या कोई और कमिटी बना दीजिए, जो किसानों के साथ बैठ कर यह बात करे कि उनके लिए कौन-सी अच्छी चीज है और इसमें क्या हो सकता है।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): धन्यवाद।

सरदार सुखदेव सिंह ढिंडसा: सर, मैं एक और बात कहूँगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आप इतना ही कर लें कि जिस प्रकार Constitution में 371(A) में कुछ स्टेट्स को exempt किया गया है, आप पंजाब और हरियाणा को exempt कर दें, क्योंकि उनके लिए इतना मंडी सिस्टम है। इससे पंजाब का हर साल 4 हजार करोड़ रुपए का राजस्व खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो 371(A) है, उसके तहत आप पंजाब और हरियाणा को exempt कर दें।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): धन्यवाद, ढिंडसा जी।

सरदार सुखदेव सिंह ढिंडसा: अगर उनको जरूरत पड़ेगी और अच्छा लगेगा, तो वे उसमें आ जाएँगे। Thank you, Sir.

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): धन्यवाद, ढिंडसा जी। The next speaker is Shri Sanjay Singh.

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): मान्यवर, मैं इस सरकार के लिए चंद लाइनों से अपनी बात शुरू करूँगा कि-

"झील पर पानी बरसता है हमारे देश में,
खेत पानी को तरसता है हमारे देश में,
राजनेता, हाकिमों और पागलों को छोड़ कर,
तुम बताओ कौन हँसता है हमारे देश में।"

आज आपने इस कानून के जरिए किसानों के साथ विश्वासघात और धोखा करने का काम किया है। आप एक योजना लेकर आए हैं, जिससे आप आगे चल कर सारे कृषि क्षेत्र को पूँजीपतियों के हाथ में देना चाहते हैं। मान्यवर, इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की ओर से इस बिल का विरोध करता हूँ। यह किसानों के लिए एक काला कानून है, जो यह सरकार लेकर आ रही है। आपकी बात पर यकीन कैसे किया जाए, आपने तो किसानों की आत्महत्या का आँकड़ा भी बताना बंद कर दिया है। मान्यवर, आज किसान देश भर में जो आत्महत्याएँ कर रहे हैं, उसका आपको कोई आँकड़ा नहीं मिल सकता। आपने हमेशा राज्यों के अधिकार को छीनने का काम किया। आप GST लेकर आए, बड़े-बड़े वादे किए, आज आप राज्यों को उनके टैक्स का शेयर नहीं देते। आप Motor Vehicle Act लेकर आए, आपने राज्यों का अधिकार छीना। आप Dam Safety Act लेकर आए, आपने राज्यों का अधिकार छीना। आपने किसानों की आय दोगुना करने की बात कही, आपने किसानों को धोखा देने का काम किया। आपने MSP डेढ़ गुना करने की बात कही, आपने किसानों को धोखा देने का काम किया। आपने दो करोड़ रोजगार देने की बात कही, आपने 12 करोड़ बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी, नौजवानों को धोखा देने का काम किया। आपने देश के लोगों को 15 लाख देने की बात कही, आपने देश की जनता को धोखा देने का काम किया। आपने कहा कि इस देश के अन्दर कई लाख करोड़ रुपए काला धन लाकर हम इस देश में काला धन वापस लाएँगे, आप आज तक एक रुपया काला धन नहीं ला पाए, आपने देश की जनता को धोखा देने का काम किया। आपने 'Digital India' का नारा दिया, आपने 'Startup India' का नारा दिया, आपने 'Make in India' का नारा दिया। आपकी सरकार है, जिसने FDI का जम कर विरोध किया और आज आप कृषि क्षेत्र को पूँजीपतियों के हाथ में गिरवी रखने जा रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): अब आप समाप्त कीजिए।

श्री संजय सिंह: देश के किसानों की आत्मा को बेचने जा रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): धन्यवाद।

श्री संजय सिंह: मान्यवर, पंजाब के किसान विरोध कर रहे हैं, हरियाणा के किसान विरोध कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के किसान विरोध कर रहे हैं। पूरे देश के किसान आज सड़कों पर उतर कर आपका विरोध कर रहे हैं।

अंत में मैं सिर्फ एक बात कह कर अपनी बात को खत्म करूँगा। यहाँ पर माननीय भूपेन्द्र यादव जी कह रहे थे कि 70 के दशक में किसानों को भड़काया गया और यह कहा गया कि पानी से बिजली निकाल कर पानी की ताकत खत्म कर दी जाएगी और आज आधुनिक भारत में क्या हो रहा है, आज के नेता नाले की गैस से चाय बना रहे हैं। हमको वह दुकान बता दीजिए, जहाँ नाले की गैस से चाय मिलती हो, हम वह चाय पीना चाहते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): धन्यवाद।

श्री संजय सिंह: आप भी उसी तरीके के वादे करके, असत्य वादे करके ...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): धन्यवाद, संजय जी।

श्री संजय सिंह: सर, मैं conclude कर रहा हूँ। असत्य वादे करके आप देश की जनता को, किसान को गुमराह करने का काम कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): आपका समय समाप्त हो चुका है, प्लीज़ कन्क्लूड करिए।...(व्यवधान) थैंक यू।...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंह: यह सरकार नया पैकेज लेकर आती है और बड़ी-बड़ी बातें करती है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): धन्यवाद, मुझे नेक्स्ट स्पीकर बुलाना पड़ेगा।...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंह: मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, सर।...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): आपका समय समाप्त हो चुका है।...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंह: मैं कन्क्लूड कर रहा हूं, सर।...**(व्यवधान)**... दिल्ली के मुख्य मंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस बिल का विरोध करने की बात कही है। हमारी पार्टी पंजाब से लेकर पूरे देश में इस बिल का विरोध करेगी। हमारी सरकार ने दिल्ली में किसान को 2,600 रुपये क्विंटल धान का दाम देने का काम किया है। हम किसानों के हक़ में हैं, किसानों के साथ हैं।...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I am calling the next speaker. The next speaker is Shri Ramdas Athawale.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले): सर, आज का दिन अपने देश के किसानों को न्याय दिलवाने वाला दिन। आज के ये दो बिल पास होने के बाद किसानों का उत्पादन दुगुना नहीं, तिगुना भी हो सकता है। कृषि उत्पाद बाज़ार समिति में तो उनको अपना सामान बेचने का अधिकार है ही, लेकिन अगर बाहर की मंडी में उनको ज्यादा पैसा मिलता है, तो वहां भी उनको अपना सामान बेचने का अधिकार देने के लिए ही यह बिल लाया गया है। ये जो बिल्स हैं, "कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020" और दूसरा, "कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020", इन बिल्स का मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से समर्थन करता हूं।

"किसान बिल के कारण आज देश में जिनका है ग्लैमर,
उनका नाम है श्री नरेन्द्र सिंह तोमर।
यह काम इतना नहीं है आसान,
माननीय नरेन्द्र मोदी जी को करना है मज़बूत किसान।
कांग्रेस का और विरोधी दलों का हमें नहीं चाहिए हिस्सा।
किसान की तरफ सरकार का है पूरा ध्यान
क्योंकि हमें बढ़ानी है किसानों की शान।
माननीय नरेन्द्र मोदी जी हैं किसानों के फैन?
किसान के विकास के लिए मोदी जी बढ़ा रहे हैं गति।
विरोधी दल वालों! क्यों कर रहे हो तुम राजनीति?"
*सर, मेरा टाइम तो दो मिनट का ही है।...**(व्यवधान)**...*

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): आपका समय समाप्त हो चुका है। आप समाप्त कीजिए।...**(व्यवधान)**...

श्री रामदास अठावले:

"किसान अगर फ़सल नहीं बोएगा।
तो फिर हम सब क्या खाएगा?
जब किसान खेत में जाएगा
तो ही अनाज आपके लिए ले आएगा।
कांग्रेस वाले इस बिल से डरते हैं
इसलिए हमसे चुनाव में कांग्रेस वाले हारते हैं।
हम तो किसानों के न्याय के लिए मरते हैं
और नरेन्द्र मोदी जी किसानों की हमेशा मदद करते हैं।"

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): अठावले जी, आप समाप्त कीजिए।...**(व्यवधान)**...

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री रामदास अठावले: ये जो बिल हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बिल हैं और इन बिल्स के कारण किसानों का फायदा होने वाला है। इन बिल्स पर यहां राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इसमें अगर सभी लोगों का सपोर्ट मिलता तो हमको बहुत आनन्द होता, लेकिन अगर आपका सपोर्ट नहीं भी मिलेगा, तब भी यह बिल पास होने वाला है।...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): धन्यवाद, मैं दूसरे स्पीकर का नाम बुला रहा हूं।...**(व्यवधान)**...

श्री रामदास अठावले: पूरे देश में इसके लिए आन्दोलन नहीं है। हरियाणा, पंजाब और यूपी के कुछ भागों में आन्दोलन है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं है।...**(व्यवधान)**... बहुत सारे स्थानों में इसका कोई विरोध नहीं है।...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): The next speaker is Shri Sushil Kumar Gupta.

श्री सुशील कुमार गुप्ता (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत धन्यवाद, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं -

"सड़क से लेकर संसद तक, आम आदमी ज़िंदा है।
किसान पिटे हरियाणा में, क्या बीजेपी शर्मिंदा है?"

आप देश के किसान की बात करते हैं, क्या हरियाणा का किसान, अपनी फसल हरियाणा से लेकर गुजरात में बेचने जाएगा? 'One nation one market', यह सुनने में अच्छा लगता है, परन्तु देश का 86% किसान एक ज़िले से दूसरे ज़िले में अपनी फसल बेचने के लिए नहीं जाता। मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): गुप्ता जी, आप बिना मास्क के बोल रहे हैं। कृपया, बोलने के समय भी मास्क लगा लें, यह कम्पल्सरी है। हाउस के अंदर मास्क लगाना कम्पल्सरी है।

श्री सुशील कुमार गुप्ता: जी, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि क्या आप किसानों को अपने उद्योगपति मित्रों, अडाणी और अम्बानी जैसे घरानों को बेचना चाहते हैं? आप मंडियों को खत्म करना चाहते हैं, मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, हरियाणा के अंदर 40,000 परिवारों की मंडी है, जिसके अंदर 80,000 मुनीम काम करते हैं और 2,00,000 मज़दूर काम करते हैं।

क्या आपने सोचा है कि उनके भविष्य का क्या होगा? क्या आपने सोचा है कि हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान आज सड़कों के ऊपर आ गए हैं, लेकिन उन किसानों को लेकर आपने बात करना भी उचित नहीं समझा। आप कोरोना के दौरान सारी दुनिया से कहते हैं कि अपने घरों के अंदर रहो और किसानों को आपने मज़बूर कर दिया कि वे कोरोना के दौरान सड़कों पर आएं।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): थैंक यू, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री सुशील कुमार गुप्ता: इसलिए कोरोना के बीच में आपने उनको आन्दोलन करने के लिए मज़बूर किया। आप चाहते हैं कि वे बीमारी से ग्रसित हों। आपको इस काले कानून को वापस लेना पड़ेगा। हो सकता है कि जुमलों के दम पर आपकी सरकार आ गई हो, हो सकता है कि संसद में संख्या के बल पर आप इस बिल को पास करा लें। परन्तु मैं आपसे कहना चाहता हूं...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): धन्यवाद, अब मैं दूसरे स्पीकर को बुलाता हूं।

श्री सुशील कुमार गुप्ता: हिन्दुस्तान के किसान आपको माफ़ नहीं करेंगे, हिन्दुस्तान के किसान आपकी सरकार को उखाड़कर फेंक देंगे। यह काला कानून आपको वापस लेना होगा, यही मैं कहना चाहता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Shri H.D. Devegowda. He is not in the House. Shri Tiruchi Siva.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, this Bill though said to be intended to save the farmers, it is to sell the farmers. Making use of COVID situation, the Government has very hastily promulgated some Ordinances and is passing the Bills without even getting them scrutinized either through a Standing Committee or a Select Committee. We have to read between the lines. What urgency or what imposition is on you to pass this Bill so hastily?

Saint Thiruvalluvar has said this.
"Uzhudhundhu vaazhvaare vaazhvaar,
marrellam thozhudhundu pinsel pavar"

Only those who live on agriculture live independently. All others are dependent on them.

But by way of this Bill, it will become *vice versa*. Hereafter, the farmers who are feeding others will be dependents.

Sir, I am wondering why this sudden affection towards the farmers at this moment and that too in the COVID situation. Even when the half-naked farmers were agitating for months together at Jantar Mantar and across the country, they were struggling and they were pleading, but you didn't even give them an audience. You didn't even listen to them. But now you are coming and saying that we are helping the farmers. Your

statement is that you are saving the farmers from the clutches of the traders. It is deregulating. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you.

SHRI TIRUCHI SIVA: You are pledging farmers to corporates.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, only one minute. It is an encroachment upon the States' rights because agriculture comes under the States' rights and the Government has got no right or authority to enact a law like this.

Sir, this country so far has been called an agricultural country, but hereafter, after this Government, it will be called a corporate country. Thank you, Sir.

MS. DOLA SEN (West Bengal): Thank you, Sir, for giving me a chance to speak on the Bills and Resolutions regarding farmers.

Sir, I rise today to vehemently oppose these two farmers' Bills for which Ordinances were brought. These Bills and Resolutions are being discussed in this House. I will briefly make some points today in my mother tongue Bangla on behalf of the All India Trinamool Congress Party.

*Firstly, in view of the Holy Constitution of Independent India, these Bills are big shock which can be placed in the class of falsehood and fraud. These two Bills abuse the Centre's legal jurisdiction and they are an attack on Federalism according to our constitution.

I would like to know from the Hon'ble Minister what is the Centre's legal position on Contract-farming? Have we forgotten what Sarkaria Commission had observed?

Secondly, these Bills are an attack on the farmers. The objective of the Bill reads that these will facilitate protection and empowerment to the farmers and will provide freedom of choice for the farmers and the traders. It is totally false, Sir. Rather, these Bills will take away the power from the hands of the farmers and hand them over directly to the big corporate.

---

*English translation of the original speech delivered in Bengali.

[Ms. Dola Sen]

So, Sir, on the one hand Central Government is ruining the interest of the farmers while on the other hand, it is taking away the States' rights to protect the farmers.

These Bills will allow anyone to trade in agricultural produce without obtaining any license. They will not care for Minimum Support Price and will exploit the farmers.

I want to put 2 questions about them:

Firstly, while majority of the people in India is facing crisis of food due to loss of jobs, what is the logic of opening up of India's farm produce to the outside market?

Secondly, while 90% of our farmers have less than 2 hectares of land, how can they get good price from the exporters?

I want to cite some proof of the implementation of "Agricultural Produce Marketing Act." We have seen some positive results of the reforms in our States. Let me cite some examples from our state of West Bengal:

Provision of Kisan Credit Card by the Government so that farmers do not have to borrow money from the money-lenders at high rates;

Provision of Kisan Mandi and Cold storage in every Block so that the farmers get just price and their produce is not damaged;

Crop Insurance through Government aid so that farmers are protected against loss of crops due to drought and flood;

Facility to disburse financial help of ₹ 2500 per acre in 2 installments of agricultural land totaling ₹ 5000 for 2 acre every year;

Compensation of ₹ 2 lakh by the Government in case of any natural or accidental death of a farmer; and

Pension of ₹ 1000 for the farmers, farm labourers, share croppers and cultivators who have crossed the age of 60 years.

It is seen that since 2014, "Sufal Bengal" has facilitated direct purchase of agricultural produce from the farmers and sell them directly to the customers, thus eliminating the middlemen. In this way, the profit share of the farmers increases. All these steps are being implemented religiously through the noble efforts of Chief Minister Mamata Banerjee in West Bengal.

The call of the Time, Sir, is to strengthen the security of our farmer friends —it is our duty and responsibility. The State should not attack the Acts which favour agriculture and farmers and those Acts should not be withdrawn. To bring this Ordinance is a big irony of the legal process recognized by the Constitution.

The Centre is not listening to the farmers, to the people and the stakeholders. They are not even heeding to the recommendations and suggestions of the Parliamentary Committee. They are not listening to the States.

I would request the Hon'ble Minister to withdraw this Ordinance. This Ordinance does not have any place in our country, Sir, where more than half of the work-force is engaged and is dependent on agriculture for their livelihood. The Central Government wants to make changes in Agricultural policy, the result of which will be dangerous.

India plans to export to other countries and at the same time, our own agricultural market is to be subjected to high rates of duty —how can it be possible? What will happen to the 60 per cent of the country's people who are directly or indirectly dependent on agriculture for livelihood? How will their livelihood be protected? Government should think about it. The Central Government should also think about food security. The Central government is selling away the nation's assets including Rail to BHEL, SAIL to BSNL. At the same time, they are bringing out this kind of Bill or Ordinance in the field of agriculture. These are against the people, against the industry, against the labourers and against the farmers and against the country.

MR. VICE-CHAIRMAN (Shri Bhubaneswar Kalita): Thank you, time is over.

SHRIMATI. DOLA SEN: We do not abide by them and we condemn them with all our strength. So, it should be referred to the Select Committee for discussion. Thank you.

श्री शक्तिसिंह गोहिल (गुजरात): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, एक छोटे से गाँव में मेरा जन्म हुआ है और मेरे पुरखों से मेरे पास खेती की जमीन है। उसके साथ जुड़े रहते हुए मैंने लॉ में मास्टर्स किया है। ओरिजिनल डिग्री दिखा सकूँ, ऐसा LLM किया है। एक हाथ में खेत और खलिहान तथा दूसरे हाथ में लॉ में मास्टर्स की डिग्री, इन दोनों ने इन दोनों बिल्स को समझने में मेरी मदद की है। इनको समझते हुए मैं कहता हूँ कि ये दोनों ही बिल्स किसान को बरबाद करने वाले हैं। इनसे किसान बरबाद होगा।

आपका जो Objects and Reasons का statement है, आपका जो उद्देश्य और कारण है और आपके जो Sections, Sub-Sections और Clauses हैं, उनमें जमीन और आसमान का

[श्री शक्तिसिंह गोहिल]

अन्तर है। आप लफ़्ज़ों की कोई भी सजावट कर लीजिए, आखिर में विधेयक कहाँ असर करता है, कानून से असर करता है, Sections, Sub-Sections और Clauses से असर करता है और किसान को बरबाद करने वाला यह कानून आप लेकर आये हैं। आप यहाँ पर यह बात करते हैं कि यह किसान के फायदे की चीज़ है। कैबिनेट तो एक entity है। जब आप अपनी कैबिनेट के साथी को नहीं समझा पाये हैं, तो पूरे देश को, इस सदन को, किसान को कैसे समझाएँगे? ...(**व्यवधान**)... अपनी कैबिनेट के मंत्री को आप नहीं समझा पाये कि यह किसान के हित में है।

मुझे यह कहना है कि आप बाजार में जाइए। चाहे आप मोबाइल लेने जाइए या जूता लेने जाइए। बेचने वाला तय करता है कि मैं उसे कितने में बेचूँगा। वहीं किसान की हालत देखिए। वह मंडी में जाता है, अपने खून-पसीने का माल लेकर, परन्तु उसका दाम वह तय नहीं कर पाता है। उसे खरीदने वाला आपका आदमी कहता है कि मैं इतने में ही लूँगा। इसीलिए इस देश में MSP नहीं है। महोदय, मैं आपके ज़रिए मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि अगर आप कहते हैं कि आप MSP नहीं हटा रहे हैं, तो क्यों नहीं इसमें आप कानून के साथ यह चीज़ लगाते हैं कि अगर कोई contract होगा और कम पैसे में वह contract sign कोई करवायेगा, तो उसके खिलाफ forgery का क्रिमिनल केस दर्ज करेंगे। इसमें क्यों यह प्रावधान नहीं है? अगर कोई online खरीद करेगा और उसको Minimum Support Price से कम में किया है, तो उसके खिलाफ क्रिमिनल केस होगा, ऐसा प्रावधान आप क्यों नहीं कर रहे हैं?

मेरे नेता राहुल गांधी जी कोरोना से लेकर किसान तक सच्ची बात करते हैं, तो आपको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सच्ची बात आपको अच्छी नहीं लगती। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि जो खेत में खून-पसीना बहा कर काम करता है, धूप में रह कर काम करता है, उसका दिमाग एसी में रहने वाले से भी तेज होता है। आप उसका मज़ाक क्यों बना रहे हैं? आप कह रहे हैं कि उसे गुमराह किया जा रहा है, उसे भ्रमित किया जा रहा है। भ्रमित और गुमराह सिर्फ वही होता है, जिसका दिमाग तेज नहीं होता है। आप यह कह कर हमारे किसान भाई का अपमान कर रहे हैं कि उसे भ्रमित किया जाता है, गुमराह किया जाता है। इस देश के प्रधान मंत्री जी ने ट्वीट करके यह किया, उन्हें इस देश के किसानों से माफी माँगनी चाहिए। हमारा किसान दिमागी रूप से तेज है, वह भ्रमित होने वाला नहीं है। वह आज सड़कों पर क्यों निकला है? इस जगत का तात आज सड़कों पर क्यों निकला हुआ है? वह इसलिए निकला हुआ है, क्योंकि वह जानता है, समझता है कि जब यह कानून बन जाएगा, तो मैं बरबाद हो जाऊँगा।

महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके जरिए सरकार को कहना चाहता हूँ कि कहते हैं न कि यह हिस्टॉरिकल बिल है, हाँ, हिस्टॉरिकल है, पर यह स्वर्ण अक्षरों से लिखा नहीं जाएगा, बल्कि यह काले अक्षरों से लिखा जाएगा। किसानों को मार देने वाला आपका जो यह बिल है, इसको उसी लफ़्ज़ों में लिखा जाएगा।

महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि इस बिल में जो प्रावधान किए गए हैं, उनके अनुसार सब डिविज़न मैजिस्ट्रेट को पावर दी जा रही है, उसके बाद अपील कलेक्टर के पास की जाएगी। अगर कोई दिक्कत आती है, कहीं contradiction या झगड़ा होता है, तो ऐसी स्थिति में आप उसको सिविल कोर्ट की पावर दे रहे हैं। उसके बाद आप सेक्शन 18 में यह प्रोविज़न करते हैं, "No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie...' किसान minority के खिलाफ अदालत में नहीं जा सकता है, कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता है न स्टेट के खिलाफ, न सेन्टर के खिलाफ। आप यह क्या करने जा रहे हैं? आप किसान को दोनों ओर से मार रहे हैं कि आपको लूट भी लेंगे और तेरी आवाज़ भी नहीं सुनी जाएगी। मैं ही चोर, मैं ही कोतवाल, मैं ही न्यायाधीश। यह आपका किसानों के खिलाफ काम है।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): गोहिल जी, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री शक्तिसिंह गोहिल: महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। 2006 में बिहार में जेडी (यू) और भाजपा की सरकार ने एपीएमसी खत्म किया, आज देखिए मेरे बिहार के किसान की हालत क्या हुई है और जहाँ-जहाँ पर भी यह काम हुआ है, वहाँ पर क्या हालत हो रही है, इसको आप देखिए।...**(व्यवधान)**...

महोदय, मैं आखिर में सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि सजन रे झूठ मत बोलो, भगवान के घर जाना है, न हाथी है.... वहाँ न हवाई जहाज है, वहाँ तो कंधों पर ही जाना है।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): धन्यवाद, धन्यवाद।

श्री शक्तिसिंह गोहिल: महोदय, इस बात को समझते हुए सरकार इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजे। आप इस पर public opinion लीजिए। आप किसान की आवाज़ सुनिए, उनका दर्द सुनिए और फिर आप इस हाउस में आइए। आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस का प्रावधान कीजिए, compulsory provision कीजिए। अगर यह नहीं मिलेगा, तो criminal case का प्रावधान कीजिए। हम इसका सपोर्ट करेंगे। हम किसान के हितैषी हैं। अगर आप अच्छी बात लेकर आते हैं, काँग्रेस का इतिहास रहा है....

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): आपका समय समाप्त हो गया। कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री शक्तिसिंह गोहिल: आप कहते हैं कि कुछ नहीं किया। जब देश आज़ाद हुआ था, तब PL-480 बाहर से आता था और आज हमारे देश में धान के भंडार भरे पड़े हैं। वह किसानों के लिए काँग्रेस ने किया था, इसलिए यह हुआ है। धन्यवाद, महोदय।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESEWAR KALITA) : The next speaker is Shri Surendra Singh Nagar.

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (उत्तर प्रदेश): धन्यवाद, उपसभाध्यक्ष जी।

श्री दिग्विजय सिंह (मध्य प्रदेश): आप सोच-समझ कर बोलिए।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: मैं हमेशा सोच-समझ कर ही बोलता हूँ। चूँकि मैं किसान से संबंधित भी हूँ, इसलिए मुझे सोच-समझ कर बोलना ही पड़ेगा। ...**(व्यवधान)**... जो फायदे और नफे की बात कर रहे हैं, वे हमारे काँग्रेस के मित्र हैं, पहले वे अपना घोषणापत्र जरूर पढ़ लें। उन्होंने अपने घोषणापत्र में क्या वादा किया था?

महोदय, देश की आज़ादी के बाद लंबे समय तक किसान राजनीति का महत्वपूर्ण मुद्दा रहा और किसान को लेकर लंबे समय तक राजनीति होती रही। जब भी चुनाव आए, चुनाव के वक्त, लंबे समय तक जो दल सत्ता में रहे, उन्होंने चुनावी वादे किए। किसानों के लिए वादे किए, लेकिन लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद उन वादों को कभी पूरा करने का काम नहीं किया। काँग्रेस पार्टी ने जो घोषणापत्र जारी किया, उस घोषण पत्र में इन दोनों बिल्स से संबंधित जो बातें हैं, उनके संबंध में कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं, तो इनको लागू करेंगे। यह काँग्रेस पार्टी ने अपने घोषणापत्र में वादा किया था और आज जब सरकार किसानों के हित में इस बिल को लेकर आई है, तो पता नहीं उनका मन क्यों बदल गया है और किसानों के हित में जो यह बड़ा निर्णय होने जा रहा है, जो अमेंडमेंट हम लेकर आए हैं, वे आज उसका विरोध कर रहे हैं। इसमें किसानों को भ्रमित करने का कारण क्या है? कहा जा रहा है कि जो एपीएमसी एक्ट है, उसको खत्म कर दिया जाएगा। मैं काँग्रेस के नेता, जो केरल से जीतकर आते हैं; उनसे पूछना चाहता हूँ; यहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं; क्या केरल में एपीएमसी एक्ट है? केरल में एपीएमसी एक्ट नहीं है। अगर आपको किसानों की इतनी चिंता है, तो जहाँ से आपके नेता जीतकर आते हैं, सबसे पहले आपको केरल में एपीएमसी एक्ट लागू कराना चाहिए। इस एक्ट में कौन सा ऐसा प्रावधान है, कौन सी ऐसी चीज़ है, जो एपीएमसी एक्ट को खत्म करने की बात कर रही है? यह राज्यों का अधिकार है, इस बिल में लिखा हुआ है कि एपीएमसी एक्ट लागू रहेगा, मंडियाँ खत्म नहीं होंगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे हैं। हमारे बालियान जी बैठे हैं, वे मुजफ्फरनगर से हैं। वहाँ सबसे ज्यादा कश्यप समाज के लोग backward हैं, जो कोल्हू चलाते हैं, जो गुड़ बनाने का काम करते हैं। अगर उन्हें हरियाणा में better price मिलता है, तो वे अपना गुड़ हरियाणा जाकर नहीं बेच सकते हैं। अगर उन्हें हरियाणा में 200 रुपए क्विंटल ज्यादा मिलता है, तो वे वहाँ नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि उन्हें उस मंडी में लाना पड़ेगा, मंडी टैक्स देना पड़ेगा, हरियाणा का टैक्स देना पड़ेगा और किसान को यह आज़ादी नहीं है कि वह हरियाणा में जाकर अपना गुड़ बेच सके।

(उपसभापति महोदय *पीठासीन हुए)*

इसके अलावा, बिहार से श्री आर. सी. पी. सिंह जी बैठे हैं। आज उत्तर प्रदेश में गुड़ का रेट 3,400 रुपए क्विंटल है और बिहार में 4,100 रुपए क्विंटल है। अगर सरकार किसान

को यह अधिकार दे रही है कि वह अपना 3,400 रुपए क्विंटल गुड़, 4,100 रुपए क्विंटल में बेच सकता है, तो इसमें आपको क्या परेशानी है? इस एक्ट से किसान को यह लाभ मिलेगा कि वह बिहार में जाकर अपना गुड़ बेच पाएगा। साउथ इंडिया से हमारे लोग बैठे हैं। अगर आप गेहूं की price देखेंगे, तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत के गेहूं के रेट में 200 रुपए प्रति क्विंटल का फर्क रहता है, लेकिन उत्तर भारत का किसान, पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान साउथ इंडिया में जाकर अपना माल नहीं बेच सकता है। यह 200 रुपए क्विंटल का margin है, लेकिन उसका किराया 25 रुपए क्विंटल होगा। उसे 175 रुपए क्विंटल ज्यादा मिलेगा। मैं इस बिल का विरोध करने वालों से पूछना चाहता हूँ कि क्या परेशानी है, क्या वे किसान को ज्यादा पैसा नहीं दिलाना चाहते? क्या यह anti farmer है? इसके अलावा, मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। मैं बुलंदशहर जिले से आता है। वह दिल्ली के बहुत नजदीक है। अगर आप वहाँ की मंडी की बात करें; वहाँ किसान धान लाता है। उसके पास गाजियाबाद बड़ा शहर है। उपसभापति जी, अगर वह गाजियाबाद में अपना धान बेचना चाहता है, तो 100 रुपए क्विंटल का फर्क है। सौ रुपए क्विंटल का फर्क है और दूरी तीस किलोमीटर है, लेकिन वह सौ रुपए क्विंटल का लाभ नहीं ले सकता है, क्योंकि मंडी वाले उसको बेचने का अधिकार नहीं देते हैं और उसे bound करते हैं। मंडी का एक्ट क्या है? मंडी में एक्ट यह है कि किसान आएगा, अपनी ढेरी होगी, उसकी बोली लगेगी और उसको price मिलेगा। लेकिन क?या हो रहा मंडियों में? मंडियों में हो रहा है कि पहली तीन बोलियाँ में सही दाम पर ढेरियाँ बिकती हैं, लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि हमें माल की जरूरत नहीं है और किसान का माल वहाँ अनलोड कर दिया जाता है। इस तरह से, मंडी में किसान का माल औने-पौने दाम पर खरीदा जाता है, क्योंकि उसे बाहर बेचने का अधिकार नहीं है। इस एक्ट से उसे फायदा मिलेगा, उसे अधिकार मिलेगा कि अगर वह मंडी क्षेत्र से बाहर बेचना चाहता है, चाहे वह बिहार में बेचे, चाहे वह गेहूं साउथ इंडिया में बेचे। हमारे बुलंदशहर का किसान गाजियाबाद और हरियाणा में अपना धान बेचना चाहेगा, तो इस एक्ट के माध्यम से, इस कानून के माध्यम वह बेहतर price ले पाएगा। यह मैं कहना चाहता हूँ।

श्री उपसभापति: माननीय नागर जी, conclude करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: सर, मैं बहुत ज्यादा लम्बा विषय नहीं रखना चाहूँगा। इसके अलावा, बहुत-सा असत्य फैलाया जा रहा है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी। मैं जब लोक सभा का सदस्य था, तो मैं ऐग्रीकल्चर कमिटी का तीन वर्ष सदस्य रहा। हम लोग कमिटी की मीटिंग में हर बार recommend करते थे। वासुदेव आचार्य जी हमारे चेयरमैन थे। हम मिलकर यह कहते थे कि स्वामीनाथन कमिटी की सिफारिशों को लागू करना चाहिए। मैं लोक सभा में पाँच साल रहा, लेकिन उन पाँच वर्षों में, उन तीन वर्षों में हमारी कमिटी की recommendation एक दिन भी नहीं मानी गई और स्वामीनाथन कमिटी की रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। मैं देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने साहसिक निर्णय लिया और किसानों के संबंध में स्वामीनाथन कमिटी की रिपोर्ट को मानकर, उन्हें लाभकारी मूल्य देने का काम किया। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: माननीय नागर जी, अब आप कन्क्लूड करें। ...**(व्यवधान)**... आप कन्क्लूड करें, मैं नेक्स्ट स्पीकर को बुला रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**...

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: सर, मैं अंत में केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस बिल से किसानों का हित होगा, उनको लाभकारी मूल्य मिलेगा और उनको बिचौलियों से आज़ादी मिलेगी। मैं कह सकता हूँ कि इस बिल के माध्यम से किसानों को निश्चित रूप से बिचौलियों से आज़ादी मिलेगी।

सर, आज start ups की बात होती है। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जिस सेक्टर में हूँ, वहाँ IIM के 5-10 लड़कों को जानता हूँ।

श्री उपसभापति: माननीय नागर जी, कन्क्लूड करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: सर, उन्होंने 100-100 गायों की डेयरी पूरे NCR में बनाई है। डेयरी के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ रुपये दिए हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: माननीय नागर जी, कृपया कन्क्लूड करें। आप कन्क्लूड करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: एक लाख करोड़ रुपये एग्रीकल्चर के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है। यह किसी सरकार ने करने का काम किया? ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: प्लीज़, कन्क्लूड करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: यह मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया है।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: प्लीज़, कन्क्लूड कीजिए।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: मुझे उम्मीद है कि सब मिलकर इसमें सहयोग करेंगे और किसानों के हित में लाए गए इस बिल को पास कराने में समर्थन करेंगे। ...**(व्यवधान)**... आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह (बिहार): सर, आपका बहुत धन्यवाद। आपको इस कुर्सी पर दोबारा देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई।

श्री उपसभापति: धन्यवाद, आप बोलें।

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह: मुझे उम्मीद है कि जितना समय निर्धारित है, उससे आप दो मिनट ज्यादा समय देंगे।

श्री उपसभापति: समय के बारे में क्षमा करें। हाउस में जो तय हुआ है, मैं उसी का पालन करूँगा।

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह: सर, हम बिहार से हैं। हम लोग बचपन से यह सुना करते थे, हमारे पुरखे हमें यह कहानी सुनाया करते थे कि "उत्तम खेती मध्यम बान, नीच चाकरी भीख निदान", लेकिन आज मोदी जी के राज में सीधा उल्टा हो गया। खेती सबसे नीचे चली गई, किसान सबसे नीचे चला गया और उसी का नतीजा है कि इस तरह का बिल यह सरकार यहाँ लेकर आई है।

जब शुरू में कृषि मंत्री जी की ओपनिंग स्टेटमेंट हो रही थी, तो उसमें उन्होंने मनमोहन सिंह जी का जिक्र किया था। यूपीए वन में संयोग से मैं भी कृषि और खाद्य महकमे का राज्य मंत्री था और मेरे सहयोगी शरद पवार जी थे। उस समय की कुछ बात मैं आपको याद कराना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी का जो पोलिटिकल विज़न था और जो पोलिटिकल कमिटमेंट था, वह किसानों के लिए है और आपका जो पोलिटिकल डिज़ाइन है, वह हमेशा से किसान-विरोधी रहा है। आज यह कोई नई बात नहीं है, यह देश अच्छी तरह से यह बात समझता है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि जब पहली बार वर्ष 2004 में मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार बनी, तो हम लोग मंत्रिमंडल के सदस्य थे और बजट के पहले देश भर के किसान नेताओं को प्रधान मंत्री निवास में उन्होंने बुलाया था और उनकी कठिनाइयों को जानने की कोशिश की थी। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: माननीय अखिलेश जी, कृपया मास्क लगा लीजिए।

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह: सर, हम तो अपेक्षा कर रहे थे कि मेरे लिए आप ध्यान रखिएगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: जो प्रावधान है, आप उसका पालन करें।

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह: सर, मास्क नीचे चला जाता है। इसमें आप मेरा समय क्यों ले रहे हैं? आप थोड़ी उनकी शिकायत सुनिए न!

श्री उपसभापति: जो प्रावधान है, उसका सारे सदस्य पालन करें, यह आप सबसे अनुरोध है।

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह: उस समय, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जाने के बाद मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधान मंत्रित्वकाल में धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था, वह 550 रुपये प्रति क्विंटल था; गेहूँ का 610 रुपये प्रति क्विंटल था, जो कि मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है। पहले बजट में मनमोहन सिंह जी ने फैसला किया। पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 10वीं-11वीं पंचवर्षीय योजना तक जो काम किसी सरकार ने कभी नहीं किया था, पहले हर बजट में जो 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम हुआ करता था, उसको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने सीधे 550 रुपये प्रति क्विंटल से 1,100 रुपये प्रति क्विंटल करने

[श्री अखिलेश प्रसाद सिंह]

का काम किया था। आज़ादी के बाद किसी सरकार ने वह काम नहीं किया। इसी तरह से, धान, गन्ने आदि सभी चीज़ों का न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर दोगुना करने का काम उन्होंने किया था। बात केवल वहीं नहीं रुकी। कई सहयोगियों और साथियों को अच्छी तरह से याद होगा कि उस समय 8 परसेंट पर गाड़ी खरीदी जाती थी, ऋण मिलता था, ऋण की उपलब्धता बैंक से और बैंकिंग सिस्टम से होती थी। 8 परसेंट पर व्यवसायियों को और किसानों को 10 परसेंट पर ऋण मिलता था। मनमोहन सिंह जी ने फैसला किया कि इस तरह की बेईमानी कांग्रेस की हुकूमत में नहीं चल सकती कि 125 करोड़ लोगों को अन्न देने वाला जो किसान है, उसको ऋण 10 परसेंट पर मिले और गाड़ी खरीदने वाले व्यवसायियों को ऋण 8 परसेंट पर मिले। उन्होंने फैसला किया कि वह जो 10 परसेंट पर ऋण मिलता था, उसको सीधे 8 परसेंट से नीचे लाने का काम किया। कृषि मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह फैसला मनमोहन सिंह जी की सरकार ने किया था। उन्होंने 70 हज़ार करोड़ रुपये की लोन माफी करने का काम किया था, देश भर में जब किसान आत्महत्या कर रहे थे, वह उस सरकार द्वारा फैसला किया गया था। वह फैसला सिर्फ वहीं नहीं रुका। जैसा अभी राम चन्द्र बाबू ने कहा वर्ष 2006 में, जब एनडीए सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वर्ष 2005 में बनी थी तो एपीएमसी एक्ट को समाप्त किया था, लेकिन 14 साल से एपीएमसी एक्ट को समाप्त करके वहां जो काम हुआ है, उसका मतलब साफ है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य और जो उन्होंने 15 लाख टन खरीदगी की बात की... मैं उस समय मंत्री था और एफसीआई ने सीधे बिहार में पहली बार, वह एक रिकॉर्ड है कि 15 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदगी मेरे समय में हुई थी। अब तो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। जिस तरह से बिस्कोमान और दूसरे माध्यम से खरीदगी होती है। हम पूछना चाहते हैं कि आज भी बिहार में 60 से 70 लाख मीट्रिक टन धान का सरप्लस है तो खरीदगी केवल 15 लाख मीट्रिक टन कैसे होती है। यह भारत सरकार को और बिहार को जवाब देना चाहिए, क्यों नहीं 60 से 70 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदगी होती है? क्यों नहीं गेहूं की खरीदगी होती है? राम चन्द्र बाबू, आपको शायद मालूम नहीं होगा। मैं भी किसान परिवार से आता हूं।

श्री उपसभापति: माननीय अखिलेश जी, कृपया आप चेयर को address करें।

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह: भारत सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1900 रुपये तय किया है, लेकिन बिहार में आज भी 1400-1500 रुपये प्रति मीट्रिक टन किसानों को मिल रहा है और बाकी पैसा बिचौलियों की जेब में जा रहा है। कांग्रेस सरकार हमेशा किसानों के हितों की प्रतिबद्धता और वकालत करती रही है। उसके बाद जो भी चुनाव हुए, कभी भी राहुल गांधी जी ...(**व्यवधान**)... राम चन्द्र बाबू, बीच में टोकने की अनुमति नहीं है, आप फंस जाएंगे।

श्री उपसभापति: कृपया शांति बनाए रखें।

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह: आपको अच्छी तरह मालूम है, भभुआ के इलाके से, कैमूर के इलाके

से हर साल धान और गेहूं आज भी पंजाब और हरियाणा की मंडी में आता है, क्योंकि वहां मंडी सिस्टम नहीं है। यहां की मंडी में जो ट्रेडर्स हैं, जो पैसा किसानों की जेब में जाना चाहिए था, वह ट्रेडर्स की जेब में जा रहा है।

श्री उपसभापति: माननीय अखिलेश जी, समय समाप्त हो रहा है।

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह: इसलिए बिहार सबसे ज्यादा बदहाली की स्थिति में है। इस बात को भूलना नहीं चाहिए।

श्री उपसभापति: आप conclude कीजिए।

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह: सरकार कहती है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म नहीं करना चाहते हैं। हम मंडी खत्म नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ जहां मंडी में किसानों को टैक्स देना पड़ेगा, दूसरी तरफ बाहर टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

श्री उपसभापति: माननीय अखिलेश जी, कृपया conclude कीजिए।

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह: अगर वहां टैक्स लगेगा तो स्वत: मंडी खत्म हो जाएगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना बंद हो जाएगा।

श्री उपसभापति: धन्यवाद, आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह: आज किसान...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: धन्यवाद, आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह: यह बिहार की बात कर रहे हैं।

श्री उपसभापति: धन्यवाद, आपका समय समाप्त हो गया है, अब आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है...**(व्यवधान)**...समय बहुत पहले खत्म हो चुका है, अब आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। ...**(व्यवधान)**...

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Secretary General, Message from Lok Sabha. सिर्फ वही रिकार्ड पर जाएगा। ...**(व्यवधान)**... आपका समय पहले समाप्त हो चुका है, आपसे गुज़ारिश है कि आप शांत हो जाएं।

---

*Not recorded.